बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण (2020-21 - 2024-25)

<u>दिशा निर्देश</u>

"सक्षम बिहार - स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय - 2 में लक्षित **"स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव"** के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण (2021-2022 - 2024-2025)** में ग्राम पंचायतों द्वारा 'खुले में शौच से मुक्ति' का **स्थायित्व** सुनिश्चित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से **समुदायों का व्यवहार परिवर्तन,** चिन्हित नये परिवारों / छूटे हुए परिवारों को **व्यक्तिगत शौचालयों की सुलभता** तथा चरणबद्ध तरीके से **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** द्वारा राज्य के सभी गांवों को **ODF-Plus** (खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) बनाया जाना है, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

1.0 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-प्रथम चरण :

विकसित बिहार के निश्चय - **'शौचालय निर्माण - घर का सम्मान'** के लक्ष्य प्राप्ति हेतु केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) एवं राज्य वित्त संपोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना'(LSY) को राज्य सरकार द्वारा समेकित करते हुए 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' (LSBA) प्रारम्भ किया गया। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा -निर्देश (आदेश संख्या- 68 सी., दिनांक 05.08.2016) निर्गत किया गया।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण में राज्यव्यापी क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन केंद्रित सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों का संचालन किया गया तथा अन्य संबंधित विभागों एवं संगठनों के साथ अभिसरण कर सहयोग प्राप्त किया गया। सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु 50 हजार से अधिक स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित कर ग्राम स्तर पर सहयोग प्राप्त किया गया तथा व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) निर्माण को गति प्रदान करने हेतु 70 हजार से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। इन बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अपने ग्राम पंचायतों को 'खुले में शौच से मुक्त" स्वघोषित कर दिया गया। भूमिहीन परिवारों विशेषकर अनुसूचित जाति / जनजाति, प्रवासी मजदूरों, चलंत आबादी (Floating Population) एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) का निर्माण प्रारम्भ किया गया।

2.0 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण (2021-22 - 2024-25) के उद्देश्य :

"सक्षम बिहार - स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय - 2 में लक्षित **"स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव"** के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण अंतर्गत संचालित **स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण (SBM-G)** एवं **लोहिया स्वच्छता योजना (LSY)** कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व को बनाये रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF-Plus गांव बनाना है एवं जिसके निम्न मुख्य घटक हैं -

(i) खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व :

(क) ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की सुलभता तथा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का नियमित उपयोग, शौचालय की सफाई एवं समुचित रख-रखाव के प्रति व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व हेतु सूचना-संचार में निरंतरता।

(ख) नये परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान करना एवं पूर्व की योजनाओं से निर्मित परिसम्पतियों (Assets) का रख-रखाव एवं अनुरक्षण।

(ग) भूमिहीन, विशेषकर अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी इत्यादि को आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय के माध्यम से आच्छादन।

(II) ग्रामीणी क्षेत्रों को ODF-Plus बनाना एवं प्रत्यक्ष स्वच्छता : ग्रामीण क्षेत्रों में 'खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व' में निरंतरता बनाये रखते हुये चरणबद्ध तरीके से **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** के क्रियान्वयन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024 - 25 तक ओडीएफ-प्लस बनाया जाना एवं ग्रामीण क्षेत्र को प्रत्यक्ष स्वच्छ बनाया (Visibly Clean) बनाया जाना।

(क) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को पंचायती राज संस्थानों के नेतृत्व में समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत मॉडल के रुप में विकसित किया जाना है।

(ख) सम्पूर्ण स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई (Personal Hygiene) की आदतों एवं संस्थागत परिसरों में स्वच्छता से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के प्रति समुदाय को जागरूक करना।

3.0 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) अंतर्गत **स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (द्वितीय चरण)** के अवयव:

3.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) : ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट का समुचित तरीके से पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन तथा सुरक्षित निष्पादन का कार्य किया जाना है।

3.1.1 जैविक (बायो डिग्रेडेबल) अपशिष्ट प्रबंधन : कंपोस्टिंग की विविध विधियों से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना है। कंपोस्टिंग की प्रचलित विधियां निम्न हैं -

(a) घरेलू स्तर पर कंपोस्ट गड्ढ

(b) सामुदायिक स्तर पर कंपोस्ट गड्ढा

(c) नाडेप इत्यादि

3.1.2 गोबरधन (Galvanizing Organic Bio Agro Resources - dhan) : गोबर-धन के अंतर्गत मवेशियों के अपशिष्ट एवं कृषि अपशिष्ट को बायोगैस तथा बायो-स्लरी के रूप में उचित निपटान किया जाना है।

3.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन : इसके अंतर्गत पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रण, भंडारण, ढुलाई और निपटान किया जाना है। ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर की समग्र कार्ययोजना में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को शामिल किया जायेगा।

3.2 तरल अपशिष्ट प्रबंधन : इसके अंतर्गत मुख्यत: धूसर जल (Grey Water) एवं मलिन जल (Black Water) का प्रबंधन शामिल है।

3.2.1. धूसर जल का प्रबंधन : घर से निकलने वाले धूसर जल को सोख्ता बनाकर घरेलू स्तर पर प्रबंधन हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जाना है तथा सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक सोख्ता पिट तथा अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (WSP) के माध्यम से धूसर जल का प्रबंधन किया जाना है।

3.2.2 मलिन जल प्रबंधन : इसके अंतर्गत सेप्टिक टैंक से निकलने वाला मलिन जल का उचित एवं सुरक्षित निपटान सोक पिट के माध्यम से किया जाना है। समुदाय को घरेलू स्तर पर सैप्टिक टैंक के साथ में सोक पिट निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाना है।

3.2.3 मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन : इसके अंतर्गत उचित तकनीक यथा- को-ट्रीटमेंट, ट्रेंचिंग इत्यादि का क्रियान्वयन, मलयुक्त कीचड़ ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सेप्टिक टैंक/ एकल गड्ढे वाले शौचालय से मलयुक्त कीचड़ को खाली करना तथा परिवहन इत्यादि किया जाना है।

3.3 शौचालयों की मरम्मत (Retrofitting) : व्यक्तिगत शौचालयों में तकनीकी त्रुटि / समस्या यथा – खराब निर्मित गड्ढे, दोषयुक्त पाईप एवं चैम्बर, Y जंक्शन का न होना इत्यादि का निपटान करने के उद्देश्य से आवश्यक आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा एवं संचार) कार्यकलापों को अपनाकर परिवारों को शौचालयों की मरम्मत करने के लिए प्रेरित किया जाना है।

3.4 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC): भूमिहीन परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों एवं चल आबादी (Floating Population) को शौचालय की सुलभता प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (Community Sanitary Complex) का निर्माण एवं समुदाय आधारित समुचित रख-रखाव।

3.5 व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की सुलभता : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (द्वितीय चरण) में व्यक्तिगत शौचालय के स्वनिर्माण उपरान्त पूर्ववत सभी चिन्हित पात्र परिवारों (सभी BPL तथा चिह्नित APL परिवारों यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों, लघु एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दिव्यांगजन तथा महिला प्रधान परिवारों) को प्रथम चरण के अनरूप 12,000/- (बारह हजार रुपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि देय होगी।

3.6 सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा क्षमता संवर्धन: क्षमतावर्धन तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार की विविध गतिविधियों यथा:- व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) / अंतरवैयक्तिक संचार (IPC), दीवार लेखन एवं चित्रण, Flip Chart से संवाद संप्रेषण, होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक, लोक कला, जन माध्यम इत्यादि द्वारा समुदाय को जागरूक किया जाना है।

4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण अंतर्गत **लोहिया स्वच्छता योजना – द्वितीय चरण (2020-21 - 2024-25) के अवयव :**

I. **व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता-** लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण में चिह्नित APL परिवार जो SBM(G)-द्वितीय चरण द्वारा आच्छादित नहीं हैं को लोहिया स्वच्छता योजना - प्रथम चरण के अनुरूप 12,000/- (बारह हजार रुपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि देय होगी।

II. **संविदा कर्मियों के मानदेय में आंशिक योगदान –** लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु SBM(G)-द्वितीय चरण मे वर्णित प्रावधानों के आलोक में संस्थागत संरचना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर निम्न पदों पर संविदा आधारित कर्मियों को नियुक्त करने का प्रावधान है :

1	प्रखंड समन्वयक	01 प्रति प्रखंड
2	कंप्यूटर ऑपरेटर	01 प्रति प्रखंड

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत संरचना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंड समन्वयक (संख्या 534) एवं कंप्यूटर ऑपरेटर (संख्या 534) के मानदेय में **"लोहिया स्वच्छता योजना"** मद से आंशिक व्यय किया जायेगा। इसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	पदनाम	स्तर	कुल संख्या	लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत पूर्व से मानदेय में प्रावधानित आंशिक व्यय	"लोहिया स्वच्छता योजना" द्वितीय चरण अंतर्गत मानदेय में प्रावधानित आंशिक व्यय	अभियुक्ति

1	प्रखंड समन्वयक	प्रखंड	534	10,000/- रुपये प्रति माह	अधिकतम 20,000/- रुपये तक प्रति माह	शेष राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से देय ।
2	कंप्यूटर ऑपरेटर	प्रखंड	534	8,000/- रुपये प्रति माह	अधिकतम 15,000/- रुपये तक प्रति माह	शेष राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से देय ।

III. **"लोहिया स्वच्छता योजना-द्वितीय चरण"** (2021-22 से 2024-25) अंतर्गत वैसे कार्य जो SBM(G) द्वितीय चरण अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, आवश्यकतानुसार उन कार्यों का क्रियान्वयन एवं पूर्व योजनाओं से निर्मित परिसम्पित्तयों का अनुरक्षण किया जाएगा, यथा-

(क) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना का निर्माण तथा अनुरक्षण।

(ख) बाढग्रस्त क्षेत्रों एवं विषम भौगोलिक क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता हेतु प्रभावी स्वच्छता तकनीक वाले आधोसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण।

(ग) पूर्व में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं समुचित रख-रखाव।

5.0 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण क्रियान्वयन हेतु संस्थागत संरचना:

5.1 Apex Committee (राज्य स्तरीय शीर्ष समिति) :

मुख्य सचिव, बिहार के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (Apex Committee) होगी एवं ग्रामीण विकास विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। शीर्ष समिति द्वारा अभियान से संबंधित राज्य स्तरीय नीति निर्धारण, विभागीय अभिसरण एवं कार्य-योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी।

5.1.1 शीर्ष समिति (Apex Committee) की संरचना:

I. अध्यक्ष - मुख्य सचिव, बिहार सरकार
II. सदस्य सचिव - प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
III. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार
IV. सदस्य – प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार
V. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग बिहार सरकार

VI. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार
VII. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार
VIII. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार
IX. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार
X. सदस्य – प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार
XI. सदस्य – सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
XII. आमंत्रित सदस्य - अध्यक्ष की अनुमति से स्वच्छता, जल-विज्ञान, सूचना शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन के विशेषज्ञ तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।

5.2 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU):

मिशन निदेशक - लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यरत है, जिसमें राज्य समन्वयक सहित अन्य तकनीकी समन्वयक एवं सलाहकार सम्मिलित हैं।

5.2.1 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) की संरचना:

I. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) – सह - मिशन निदेशक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
II. राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
III. राज्य वित्त प्रबंधक (SFM), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
IV. राज्य सलाहकार – SLWM / राज्य सलाहकार – CB & HR / राज्य सलाहकार- IEC / राज्य सलाहकार – M & E MIS, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
V. परियोजना प्रबंधक – ODF-S Cell, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
VI. सलाहकार PFMS & B, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
VII. सलाहकार – IEC ODF-S Cell एवं अन्य सलाहकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
VIII. लेखापाल, कार्यालय सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यादि।

5.2.2 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) के दायित्व:

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत वार्षिक कार्यान्वयन योजना (Annual Implementation Plan) तैयार की जायेगी एवं परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश, क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण, निधि प्रबंधन, कार्यक्रम हेतु समन्वय, अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी।

5.3 जिला योजना समिति :

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अंतर्गत अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में पूर्व से गठित जिला योजना समिति द्वारा जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के क्रम में अनुश्रवण एवं परामर्श प्रदान करने का कार्य किया जायेगा।

5.4 जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC):

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) कार्यरत है, उप विकास आयुक्त इस संरचना के उपाध्यक्ष एवं निदेशक- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सचिव हैं। जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा अन्य तकनीकी सलाहकार यथा - क्षमता संवर्धन तथा सूचना शिक्षा एवं संचार (CB & IEC), अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E), ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM), अन्य सलाहकार, डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यादि हैं। जिला समन्वयक जिला जल स्वच्छता समिति के संयोजक (Convener)

होंगे एवं उनके द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की कार्यवाही अंकन, संचिका का रख-रखाव इत्यादि किया जायेगा।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

5.4.1 जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) की संरचना:

I. अध्यक्ष – जिला पदाधिकारी
II. उपाध्यक्ष – उप विकास आयुक्त
III. सदस्य सचिव – निदेशक लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
IV. सदस्य सह संयोजक – जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
V. सदस्य - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
VI. सदस्य - जिला पंचायती राज पदाधिकारी - पंचायती राज विभाग
VII. मुख्य शल्य चिकित्सक –सह- मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी
VIII. सदस्य – जिला परियोजना प्रबंधक - जीविका
IX. सदस्य - जिला सलाहकार CB & IEC, SLWM, MLE& MIS / जिला स्तर पर अन्य सलाहकार
X. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी – मनरेगा
XI. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता, मनरेगा
XII. आमंत्रित सदस्य : निम्नलिखित पदाधिकारियों को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता हैं :-
   (a) जिला कृषि पदाधिकारी - कृषि विभाग
   (b) कार्यपालक पदाधिकारी - नगर परिषद / अपर नगर आयुक्त - नगर निगम
   (c) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी
   (d) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी- महिला एवं बाल विकास विभाग
   (e) डेवलपमेंट पार्टनर एवं अन्य कोई तकनीकी एजेन्सी
   (f) अन्य – अध्यक्ष की अनुमति से

5.4.2 जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) के दायित्व:

I. गांव के सभी घरों में शौचालय (IHHL) की सुलभता सुनिश्चत करते हुये कोई छूट न जाये, इसके दृष्टिगत नये घर तथा LSBA - प्रथम चरण में किसी कारणवश छूट गये परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान करना। व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व हेतु IEC / BCC अभियानों का सतत संचालन तथा समुदाय आधारित निगरानी कार्यक्रमों की निरंतरता।
II. भूमिहीन परिवार, अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत तथा अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) / अन्य वैकल्पिक संरचना का निर्माण एवं समुदाय आधारित समुचित रखरखाव का मॉडल विकसित किया जाना।
III. राज्य के सभी गांवों को चरणबद्ध तरीके से लक्षित समय में ODF-Plus बनाने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन योजना (Annual Implementation Plan) का निर्माण किया जाना, इसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति निर्माण, लक्षित कार्य चयन, क्षमतावर्धन, सूचना, शिक्षा एवं संचार, नवोन्मेषी गतिविधियां, क्रियान्वयन कैलेंडर इत्यादि शामिल होंगे तथा मदवार व्यय का आकलन कर बजट शामिल किया जायेगा।

IV. जिला अंतर्गत प्रखंडों (BPMU) से अग्रेषित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्यान्वयन योजना का तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना तथा नियमानुसार निधि / राशि विमुक्त कराना।

V. जिला स्तर पर जिला प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया जाना, जिसके द्वारा स्वच्छाग्रहियों, पंचायत राज संस्थान सदस्यों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, सहयोगी संगठनों, हितग्राहियों इत्यादि का क्षमतावर्धन / उन्मुखीकरण किया जाएगा। जिला प्रशिक्षण कोषांग में जिला समन्वयक, जिला सलाहकार / सलाहकार, प्रखंड समन्वयक, SRP / DRP एवं अन्य प्रशिक्षक शामिल होंगे।

VI. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ODF-Plus लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शौचालय निर्माण, रेट्रोफिटिंग एवं SLWM संसाधन निर्माण सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने हेतु समुदाय आधारित Sanitary Mart या सक्षम आपूर्तिकर्ता की पहचान कर उचित दर पर सामग्री की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जाना।

VII. लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न सहयोगी विभागों / योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ अभिसरण द्वारा सहयोग प्राप्त करना यथा - मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना / मुख्यमंत्री नली - गली पक्कीकरण निश्चय योजना / रूर्बन (Rurban) / मनरेगा / जल जीवन हरियाली मिशन / सामाजिक वानिकी / आजीविका मिशन /15वीं वित्त आयोग के अनुदान/ NRLM राज्य वित्त आयोग इत्यादि से जिला स्तर पर अभिसरण कराना।

VIII. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत कार्यों विशेषत: ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी को चिन्हित करना एवं नियमानुसार प्रावधानित राशि विमुक्त करना। सामान्यत: प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। जिला स्तर पर गोबरधन (GOBAR-dhan) एवं मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (FSM) के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एजेंसी को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

IX. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अनुसमर्थन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय की गयी राशि का अनुश्रवण एवं सत्यापन, अंकेक्षण एवं निगरानी करना तथा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU - LSBA) को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

X. ग्राम पंचायतों को स्वयं द्वारा ODF-Plus घोषित किये जाने के पश्चात नियमानुसार सत्यापन (Verification) किया जाना।

XI. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC), ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण के लिए जिला स्तर पर नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

XII. ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रखंड (BPMU) से अग्रेसित कार्य योजना (SLWM क्रियान्वयन, सूचना शिक्षा एवं संचार, क्षमतावर्द्धन कैलेंडर आदि बजट सहित) पर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना एवं कार्य योजना की समीक्षोपरांत नियमानुसार तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना तथा नियमानुसार क्रियान्वयन एजेंसी को निधि / राशि को विमुक्त करना।

XIII. जिला स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वार्षिक कार्य योजना निर्माण में जिला स्तरीय SLWM मास्टर ट्रेनर / जिला सलाहकार अनुसमर्थन प्रदान करेंगे।

XIV. समय-समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन।

5.5 पंचायत समिति:

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अंतर्गत प्रखंड स्तर पर पूर्व से गठित पंचायत समिति द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के क्रियान्वयन के क्रम में अनुश्रवण एवं परामर्श प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।

5.6 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU):

प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) कार्यरत है, जिसमें प्रखण्ड समन्वयक- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी सदस्य हैं। प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) प्रखण्ड स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

5.6.1 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) की संरचना:

I. अध्यक्ष – प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह- प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी
II. सदस्य सचिव – प्रखंड समन्वयक
III. सदस्य- अंचलाधिकारी
IV. सदस्य- प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी
V. सदस्य - प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
VI. सदस्य - प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी
VII. सदस्य - प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)
VIII. सदस्य - परियोजना अधिकारी (मनरेगा)
IX. सहायक / कनीय अभियन्ता (मनरेगा)
X. आमंत्रित सदस्य: निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है :
   (a) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
   (b) प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
   (c) डवलपमेंट पार्टनर एवं अन्य कोई तकनीकी एजेंसी
   (d) अन्य - अध्यक्ष की अनुमति से

5.6.2 प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) के दायित्व:

I. 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व तथा सभी परिवारों / घरों को शौचालय की सुलभता सुनिश्चत कराना।
II. भूमिहीन, अनुसूचित जाति / जनजाति, चलंत एवं अस्थायी आबादी वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय / अन्य वैकल्पिक संरचना का निर्माण कराया जाना तथा समुदाय आधारित रखरखाव (Operation & Maintenance) कराया जाना।
III. प्रखंड में निर्मित सभी **CSC** का विभिन्न मानदंड यथा – **CSC** की स्थिति, संबंधित समुदाय द्वारा उपयोग, साफ-सफाई एवं सुविधाएं, बिजली एवं पानी की आपूर्ति, **O&M** इत्यादि पर नियमित अंतराल पर भौतिक सर्वेक्षण कराना एवं **'LSBA INSIGHTS'** मोबाइल एप्प पर सूचनाएं दर्ज कराया जाना।
IV. सरकारी विभागों / योजनाओं / कार्यक्रमों (यथा- पंचायती राज विभाग, 15वीं वित्त आयोग निधि, 6वें राज्य वित्त आयोग निधि MGNREGA, NRLM इत्यादि) के साथ अभिसरण द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त करना।
V. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाना, जिसमें IEC / BCC की गतिविधियां, क्षमतावर्धन, नवोन्मेषी अभियान, SLWM क्रियान्वयन कार्ययोजना आदि शामिल होंगे एवं क्रियान्वयन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति को अग्रेसित कर स्वीकृति प्राप्त करना एवं नियमानुसार निधि प्राप्त करना।

VI. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों, SRP/DRP, स्वच्छाग्रहियों, राजमिस्त्री, पंचायत राज संस्थान सदस्यों, क्षेत्र कार्यकर्ताओं (Field Functionaries) यथा - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ASHA, ANM इत्यादि तथा समुदाय आधारित संगठन के सदस्यों, सहयोगी विभाग / संगठन के सदस्यों का क्षमतावर्धन कराकर उनसे सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

VII. ग्राम पंचायत स्तरीय 'ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-योजना निर्माण' में सहयोग एवं तकनीकी इनपुट प्रदान करना।

VIII. ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य-योजना की समीक्षा के उपरांत तकनीकी एवं वित्तीय अनुशंसा के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति को अग्रेषित करना।

IX. जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार सूचना शिक्षा एवं संचार / व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से समग्र जन-जागरूकता अभियान का संचालन कर समुदाय को व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना।

X. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेबसाइट (MIS) पर प्रगति दर्ज / अपडेट करना।

XI. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण उपरांत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

XII. जिला जल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अनुसमर्थन, अंकेक्षण एवं निगरानी तथा विभिन्न स्तरों पर मासिक भौतिक प्रतिवेदन समर्पित करना।

XIII. ODF-Plus की घोषणा में Declaration protocol का अनुपालन।

XIV. प्रखंड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन, निर्माण एवं अन्य विभागों से अभिसरण करना।

XV. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के मार्गनिर्देशन में मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (Faecal Sludge Management) हेतु आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन में सहयोग, स्थल का चयन एवं अन्य विभागों से अभिसरण करना।

XVI. ग्राम पंचायत से प्राप्त कार्य योजना (DPR) पर तकनीकी सुझाव एवं अनुशंसा मनरेगा के कनीय अभियंता या प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) द्वारा अधिकृत अन्य विभागीय अभियंता द्वारा किया जाएगा।

XVII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्राप्त कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्य किया जाना।

XVIII. समय-समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन।

5.7 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC):

मुखिया - ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) कार्यरत है, जिसमें पंचायत सचिव एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े अन्य व्यक्ति / कर्मी सदस्य हैं। ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) ग्राम पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

5.7.1 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) की संरचना:

I. अध्यक्ष – ग्राम पंचायत के मुखिया
II. सदस्य सचिव – पंचायत सचिव

III. (वैसे ग्राम पंचायतों में जहाँ पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार में हों, वहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सचिव के रूप में प्राथमिकता के क्रम में पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक या अन्य किसी पंचायत स्तरीय सरकारी कर्मी को नामित किया जा सकेगा।)

IV. सदस्य – मुखिया द्वारा नामित 02 वार्ड सदस्य, जिसमें 01 पुरुष और 01 महिला होंगी, जिसमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति / जनजाति से होंगे। -

V. सदस्य - संकुल स्तरीय संघ (CLF) द्वारा नामित समुदाय आधारित संस्था / ग्राम संगठन (VO) / संकुल स्तरीय संघ (CLF) से एक महिला सदस्य।

VI. सदस्य - मनरेगा के तकनीकी पदाधिकारी।

VII. आमंत्रित सदस्य : ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा निम्न कर्मियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है :

(a) पंचायत रोजगार सेवक

(b) प्रधानमंत्री आवास सहायक

(c) किसान सलाहकार

(d) स्वच्छता पर्यवेक्षक / कर्मी

5.7.2 ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) के दायित्व:

I. ग्राम पंचायत को 'खुले में शौच में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व एवं सभी परिवारों / घरों व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करना।

II. सभी परिवारों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के उपयोग की निरंतरता, समुचित रख-रखाव तथा आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग कराने हेतु सतत सामुदायिक उत्प्रेरण तथा समुदाय आधारित निगरानी समितियों द्वारा सतत निगरानी कराया जाना।

III. भूमिहीन परिवारों खासकर अनुसूचित जाति / जनजति के टोलों / बसावटों तथा अस्थायी आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय / अन्य उपयुक्त तकनीकी संरचना का निर्माण कराया जाना, संबंधित समुदाय द्वारा सतत उपयोग, साफ-सफाई एवं रखरखाव हेतु निरंतर सामुदायिक उत्प्रेरण एवं समुदाय आधारित रखरखाव (O& M) कराया जाना।

IV. ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रमुख संस्थान यथा - विद्यालय, ऑगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र, पंचायत कार्यालय इत्यादि में भी शौचालय की सुलभता एवं उपयोग सुनिश्चत किया जाना।

V. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य-योजना (Action Plan) तैयार किया जाना, ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य योजना को प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई को अनुशंसा एवं राशि उपलब्धता हेतु अग्रेसित करना तथा वार्ड स्तरीय सहयोग समिति को कार्यान्वयन योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

VI. अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य-योजना के अनुरूप ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर BCC / IPCके माध्यम से सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना।

VII. ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट का अलगाव (Segregation), संग्रहण (Collection), परिवहन (Transportation), प्रसंस्करण (Processing) एवं समुचित निपटान (Disposal) का क्रियान्वयन।

VIII. ग्राम पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संपादित कार्यों की भौतिक प्रगति तथा व्यय की गयी राशि से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपना तथा किए गए कार्यों का अंकेक्षण / सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना।

IX. ग्राम पंचायत को ODF Plus बनाने हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर पर निर्माण सामग्री / संसाधन की ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर उपलब्धता हेतु समुदाय आधारित Sanitary Mart या उपलब्ध बाजार से

आवश्यक सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को सहयोग प्रदान करना।

X. ग्राम पंचायत को ODF-Plus घोषित करने हेतु DWSC से अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप इस दिशा में सहयोग करना।

XI. व्यक्तिगत शौचालय / सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग, भौतिक सत्यापन, अनुश्रवण एवं निगरानी किया जाना।

XII. ODF-Plus की पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हुये ग्राम पंचायत को ODF-Plus की घोषणा (Declaration) किया जाना।

XIII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में ग्राम सभा के माध्यम से वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना।

XIV. ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit) की स्थापना हेतु नियमानुसार स्थल का चयन एवं उपयुक्त भवन / शेड का निर्माण विभागीय अभिसरण से कराना। इस कार्य हेतु पूर्व निर्मित भवन / शेड का उपयोग किया जा सकता है।

XV. पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में 15वीं वित्त आयोग के Tied Fund एवं 6th राज्य वित्त आयोग विभिन्न कार्यों यथा- घरेलू स्तर पर ठोस अपशिष्ट के पृथ्थकरण (segregation) हेतु डस्टबीन (प्रति परिवार हेतु दो डस्टबीन), अपशिष्ट के परिवहन हेतु हाथ ठेला, ट्राइसाईकिल, कंटनरीकृत ई-रिक्शा इत्यादि का क्रय (Procurement) तथा रखरखाव (Maintenance) कराया जाना।

XVI. तरल अपशिष्ट के निपटान हेतु सामुदायिक स्तर पर सोख्ता, Waste Stabilization Pond (WSP) इत्यादि का निर्माण विभागीय अभिसरण से किया जाना।

XVII. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अलग से बैंक खाता खोलना तथा खाता का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना एवं क्रियान्वयन से संबंधित समुचित लेखा का संधारण करना।

XVIII. ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC), WSP तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत निर्मित / पूर्वनिर्मित परिसंपत्ति के संचालन तथा समुचित रखरखाव (Operation & Maintenance) करना एवं आवश्यकतानुसार इस कार्य हेतु तकनीकी एजेन्सी / CBOs को आउटसोर्स किया जा सकता है।

XIX. ग्राम पंचायत अंतर्गत बाजार, हाट, दुकान, मार्केट, व्यवसायिक कांप्लेक्स, व्यवसायिक गतिविधि करने वाले संस्थानों आदि से उपयोगिता शुल्क (User Charge) का संग्रहण किया जा सकता है। बाजार, हाट, दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लिये जाने वाले उपयोगिता शुल्क (प्रति माह) का निर्धारण एवं संग्रहण ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा। उपयोगिता शुल्क की राशि न्यूनतम 60 रुपये एवं अधिकतम 200 रुपये प्रति माह हो सकती है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिव या स्वच्छता पर्यवेक्षक को अधिकृत किया जा सकेगा।

XX. ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाये रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा शादी-विवाह, भोज, घरेलू उत्सव, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन स्थल एवं आसपास उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु उपयोगिता शुल्क का संग्रहण किया जा सकता है। अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकृति के आधार पर दैनिक उपयोगिता शुल्क का निर्धारण ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा।

XXI. ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रति वार्ड हेतु दो स्वच्छता कर्मी होंगे एवं प्रति वार्ड पर एक हाथ ठेला / रिक्शा का क्रय किया जायेगा तथा घर-घर से (Door to Door) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं संमुचित निष्पादन हेतु कार्य किया जायेगा।

XXII. 'स्वच्छता कर्मी' का चयन ग्राम सभा / वार्ड सभा की अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा तथा इसके लिये महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन उपरांत स्वच्छता कर्मी का क्षमतावर्धन कराया जाएगा।

XXIII. ग्राम पचायंत क्रियान्वयन समिति द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी तथा क्रियान्वयन संबंधी अन्य तरह के सहयोग हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 'स्वच्छता पर्यवेक्षक' का चयन किया जा सकता है तथा 'स्वच्छता पर्यवेक्षक' के चयन के लिये पात्रता, शर्तें, दायित्व, मानदेय इत्यादि हेतु अलग से निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा।

XXIV. स्वच्छता पर्यवेक्षक तथा अन्य कार्यबल का कार्य समीक्षा करना एवं SLWM से संबंधित सभी कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन अद्यतन करना एवं प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) / जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपना।

XXV. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यरत सभी मानव बल का कार्य आधारित मानदेय (समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में) वितरण करना।

XXVI. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने में तकनीकी सहयोग एवं अनुसमर्थन प्रशिक्षित SRP/DRP, मनरेगा के PTS या प्रखण्ड कार्यालय द्वारा अधिकृत अन्य तकनीकी विभाग के कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

XXVII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तैयार कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्य किया जाना।

XXVIII. समय-समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन।

5.8 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC):

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के समान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) की संरचना होगी। वार्ड सदस्य WIMC के अध्यक्ष होंगे तथा जिसमें स्वच्छता से जुड़े अन्य व्यक्ति / कर्मी सदस्य होंगे। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

5.8.1 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) की संरचना:

I. अध्यक्ष - वार्ड सदस्य

II. सदस्य सचिव - वार्ड सचिव

III. सदस्य - स्वच्छता कर्मी

IV. आमंत्रित सदस्य : वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा निम्न पदाधिकारी / कर्मी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है : -

(a) मनरेगा के तकनीकी पदाधिकारी

(b) जीविका के ग्राम संगठन द्वारा मनोनित एक महिला सदस्य

(c) पंचायत स्तरीय अन्य तकनीकी पदाधिकारीगण/ कर्मीगण

(d) स्वच्छता पर्यवेक्षक

5.8.2 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के दायित्व:

I. वार्ड अंतर्गत सभी परिवारों को IHHL की सुलभता सुनिश्चित करना तथा व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व, शौचालय के सतत उपयोग तथा रखरखाव, टूटफूट या तकनीकी खामी होने पर संबंधित परिवारों को रेट्रोफिटिंग कराने हेतु उत्प्रेरित किया जाना एवं निगरानी समिति द्वारा सतत निगरानी।

II. संबंधित वार्ड में बने संस्थागत शौचालय / सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के संसाधनों का समुचित रखरखाव हेतु समुदाय को उत्प्रेरित करना।

III. प्रत्येक वार्ड में 'खुले में शौच से मुक्ति" एवं व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व की स्थिति का आकलन कर किसी कारणवश शौचालय निर्माण से छूटे घरों, नये घरों को शौचालय की सुलभता तथा व्यवहार परिवर्तन स्थायित्व संबंधी कमियों (Gap) को दूर करने हेतु 'खुले में शौच' उन्मूलन" योजना" (Open Defecation Elimination Plan/ODEP) का निर्माण किया जायेगा।

IV. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड स्तरीय ODEP का अनुमोदन किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को भेजा जायेगा।

V. वार्ड को ODF-Plus बनाने के लिये वार्ड / ग्राम स्तरीय कार्य योजना (Action Plan) तैयार करना।

VI. वार्ड स्तर पर तैयार ODF Plus कार्य योजना को वार्ड सभा से पारित कर ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन हेतु अग्रेसित करना।

VII. वार्ड को ODF-Plus बनाने हेतु DWSC से अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तरीय कार्ययोजना के अनुरूप कार्य में सहयोग करना।

VIII. प्रत्येक वार्ड में घर, दुकान, हाट / बाजार, संस्थान इत्यादि में स्रोत (at source) पर ही ठोस अपशिष्ट का सुनियोजित पृथ्थकरण (Segregation) हेतु व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) गतिविधियों का संचालन कर समुदाय को जागरूक करना एवं जन-भागीदारी सुनिश्चित करना।

IX. वार्ड के प्रत्येक घरों (House hold) एवं आवश्यकतानुसार अन्य सार्वजनिक स्थानों हेतु कूड़ेदान का वितरण।

X. प्रत्येक ग्राम (वार्ड) में घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रह हेतु रूटचार्ट तैयार करना, जिसमें ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु पैडल रिक्शा / हाथ ठेला / ई रिक्शा के लिए (गृहवार) रूट एवं दिन निर्धारित हो। प्रत्येक ग्राम (वार्ड) में घरों से एकत्र किये गये ठोस अपशिष्ट को उसी ग्राम (वार्ड) में बसावट से कुछ दूर उपयुक्त अस्थायी संग्रह स्थल चयन करना एवं निर्धारित स्थल पर अस्थायी संग्रह कराया जाना।

XI. चिन्हित अस्थायी संग्रह स्थल पर आवश्यकतानुसार बड़े कुड़ादान का व्यवस्था करना तथा स्थल का अस्थायी घेराबंदी कराना।

XII. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वार्ड अंतर्गत घरों (Household) से उपयोगिता शुल्क (User Charge) का संग्रहण किया जा सकता है। वार्ड में उपयोगिता शुल्क का निर्धारण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रति घर न्यूनतम 30 रुपये से लेकर अधिकतम 60 रुपये प्रति माह तक उपयोगिता शुल्क लिये जा सकते हैं। इस कार्य हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्वच्छाग्रही / स्वच्छता कर्मी या अन्य सदस्यों को अधिकृत किया जा सकेगा।

XIII. घर - घर कचरा उठाव / संग्रहण, परिवहन, पृथ्थकरण एवं प्रसंस्करण हेतु स्वच्छता कर्मी के चयन (प्रति वार्ड हेतु दो स्वच्छता कर्मी) हेतु ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति को अनुशंसा करना (महिला / जीविका स्वयं सहायता समूह के इच्छुक सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।)

XIV. उपयोगिता शुल्क के माध्यम से संग्रहित राशि का उपयोग वार्ड स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन से संबंधित निर्मित संसाधन के रखरखाव, संचालन तथा कर्मियों के मानदेय में व्यय किया जा सकता है।

XV. ग्राम/ वार्ड स्तर पर कार्य योजना तैयार करने में तकनीकी सहयोग एवं अनुसमर्थन प्रशिक्षित SRP/DRP, मनरेगा के PTS/ प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षित कर्मी या प्रखण्ड कार्यालय द्वारा अधिकृत अन्य तकनीकी विभाग के कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

XVI. समय-समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन।

6.0 सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान -द्वितीय चरण का उद्देश्य गांवों को ODF-Plus बनाना एवं बेहतर स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई की आदतों को अपनाने के लिये समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस हेतु प्रथम चरण में 'संपूर्ण स्वच्छता" के प्रति निर्मित जन-आंदोलन की निरंतरता को द्वितीय चरण में बनाये

रखते हुये क्षमतावर्धन (CB) तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) की रणनीति, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना है।

6.1 IEC हेतु माध्यम एवं टूल का चयन :

I. अंतर वैयक्तिक संचार (Inter Personal Communication) एवं व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (Behaviour change Communication) सर्वाधिक प्रभावी संचार माध्यम हैं, इसके अंतर्गत स्वच्छाग्रही / संसाधनसेवी द्वारा ग्राम स्तर पर घर - घर स्वच्छता संवाद, संपूर्ण स्वच्छता आधारित सामुदायिक उत्प्रेरण, फ्लिप चार्ट के माध्यम से जन-जागृति, सुबह-शाम निगरानी, रात्रि चौपाल, स्वच्छता चौपाल, स्वच्छता रैली, स्कूल आधारित संपूर्ण स्वच्छता (SLTS) इत्यादि गतिविधियां का संचालन किया जाना है। **IPC / BCC पर सकल IEC बजट (कुल परियोजना व्यय का 2 प्रतिशत) का 60 प्रतिशत व्यय किया जाना अपेक्षित है।**

II. लक्षित परिणाम की प्राप्ति हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन में समग्र दृष्टिकोण (360 degree approach) का अनुपालन किया जाना है। समुदाय आधारित गतिविधियों के साथ प्रभावी IEC tools यथा – दीवार लेखन एंव चित्रण, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रथ, स्थानीय लोक कला / संगीत, नुक्कड़ नाटक, लोक माध्यम (Mid Media), जन माध्यम (Mass Media), सोशल माध्यम (Social Media) इत्यादि से जन-जागरूकता का प्रसार किया जायेगा।

III. स्वच्छता के संदेशों, सफलता की कहानियों (Success Story), अच्छी आदतों (Best Practices) का संकलन एवं ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को विविध माध्यमों विशेषकर सोशल मीडिया (यथा- फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप इत्यादि) के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा।

IV. सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु जन-जागरूकता अभियान के संचालन में विभिन्न सहयोगी विभाग, भागीदार एवं संगठन, पंचायती राज संस्थान के जन-प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, विकास मित्र सहित समुदाय की सहभागिता प्राप्त की जायेगी।

6.2 IEC हेतु आयोजना (Planning):

I. जिला स्तर पर IEC की बजट सहित कार्य-योजना (प्रखंड स्तरीय IEC गतिविधियों सहित) तथा IEC गतिविधियों का कैलेंडर बनाया जायेगा। इसे जिला वार्षिक कार्य-योजना के संगत भागों में रेखांकित किया जायेगा तथा फीडबैक हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा IEC गतिविधियों का संचालन एवं निगरानी तथा अनुश्रवण भी किया जायेगा।

II. सभी जिला से प्राप्त IEC कार्य-योजना एवं आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य स्तर पर वार्षिक IEC कार्य-योजना का निर्माण किया जाएगा।

III. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा IEC कार्य-योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तदनुसार संबंधित प्रखंड/ग्राम पंचायत द्वारा IEC गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

6.3 ODF-प्लस / SLWM के लिये प्रमुख IEC संदेश हेतु विषय :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विविध माध्यमों से IEC संदेशों का प्रसार किया जायेगा। इसके लिये संदेशों के विषय निम्न होंगे -

I. **'खुले में शौच से मुक्ति" का स्थायित्व** (ODF-S) एवं व्यक्तिगत शौचालय/ सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरंतर उपयोग तथा समुचित रख-रखाव।

II. **स्रोत पर कचरे का पृथक्करण :** ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है – स्रोत पर ही कचरे को पृथक करना। परिवारों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कूड़ेदान में डालने एवं निष्पादित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

III. **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन :** 3 R: Reduce (कम करना), Reuse (पुन: उपयोग) एवं Recycle (पुन:चक्रण हेतु) के प्रति जागरूक करना।

IV. **धूसर जल का प्रबंधन :** रसोई एवं स्नानघर से सृजित अपशिष्ट, वर्षाजल के प्रबंधन के महत्व और उपलब्ध विभिन्न तकनीकी विकल्पों (यथा- सोख्ता, WSP इत्यादि) के प्रति जागरूक करना।

V. **बायो डिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन :** गीले कचरे को कंपोस्ट विधि द्वारा निष्पादन हेतु जागरूक करना।

VI. **मलीय कीचड़ प्रबंधन (FSM):** शौचालय के तकनीक के आधार पर मलीय कीचड़ प्रबंधन के तरीके के बारे में जागरूक किया जाना।

VII. **रेट्रोफिटिंग (मरम्मत):** समुदाय को व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की मरम्मत एवं तकनीकी दोषों को दूर करने की विधियों के बारे में जागरूक किया जाना।

VIII. **मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (MHM):** संबंधित विभाग एवं संगठन के सहयोग से युवा लड़कियों एवं महिलाओं के बीच मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।

IX. **व्यक्तिगत स्वच्छता संवर्धन :** व्यक्तिगत स्वच्छ आदतों (यथा- शौचालय का निरंतर उपयोग, शौचालय के उपयोग के बाद एवं भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोना, सैनिटाईजर से हाथों को सैनिटाईज करना, शिशुमल का शौचालय में निपटान, पेयजल का उचित रख-रखाव एवं भंडारण, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना, संक्रामक महामारी फैलने पर एक-दूसरे से दूरी बनाये रखना इत्यादि) को बढावा दिया जाना।

6.4 समुदायिक उत्प्रेरण (Community Mobilization):

I. वार्ड एवं पूरे गांव की स्वच्छता में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामुदायिक उत्प्रेरण द्वारा ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।

II. घर / परिवार (Household) स्तर पर ठोस अपशिष्ट को संग्रहकर्ताओं को सौंपने से पहले दो श्रेणियों (गीला एवं सूखा अपशिष्ट) में अलग-अलग (Segregation) करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

III. समुदाय स्तर पर अपशिष्ट को सूखा एवं गीला भाग में अलग-अलग (Segregation) करने तथा इसके समुचित निष्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं सामुदायिक उत्प्रेरण किया जायेगा।

IV. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समुदाय को उपयोगिता शुल्क (User Charges) देने के लिये उत्प्रेरित किया जायेगा।

7.0 क्षमतावर्धन (Capacity Building) :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिये क्षमतावर्धन कराया जायेगा।

I. राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण का संचालन किया जायेगा, जिसमें प्रखंड, जिला स्तर के कर्मी, स्वच्छाग्रही एवं चयनित PRI members, Frontline Workers एवं अन्य हितधारकों (Stake holders) का क्षमतावर्धन किया जायेगा।

II. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण अन्तर्गत अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन, कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, रेट्रोफिटिंग, ODF+ परिसंपत्ति का अनुरक्षण तथा रख-रखाव इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

III. प्रभावी अभिसरण हेतु सहयोगी विभाग एवं संगठन तथा डेवलपमेन्ट पार्टनर से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

IV. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) द्वारा राज्य में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों (मास्टर प्रशिक्षकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों हेतु TOT एवं राज्य तथा जिला स्तरीय कर्मियों) का अनुसमर्थन, समन्वय एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

V. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 ODF+ संबंधित टुलकिट एवं मैन्युल का उपयोग प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु किया जाना है।

VI. प्रशिक्षण हेतु ई-कोर्सेस, वर्चुअल प्रशिक्षण एवं विडियोज का भी निरंतर उपयोग किया जायेगा।

VII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सभी तकनीकों पर अन्य संस्थाएं एवं अन्य राज्यों में भ्रमण-सह-क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

VIII. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा UNICEF के सहयोग से पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय कर्मियों के क्षमता संवर्धन हेतु निर्मित 'वृहत प्रशिक्षण मैन्युअल' का उपयोग किया जायेगा।

7.1 राज्य स्तर पर क्षमतावर्धन :

I. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा मास्टर ट्रेनर, विशेष प्रशिक्षक, जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षकों का क्षमतावर्धन किया जाएगा।

II. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा LSBA कर्मियों, सहयोगी विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों, पंचायत जनप्रतिनिधियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, SRP/DRP, स्वच्छाग्रहियों, हितग्रहियों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया जाएगा।

III. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा विभिन्न स्तर यथा जिला, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाएगा।

IV. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई द्वारा जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित प्रशिक्षण का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाएगा।

7.2 जिला स्तर पर क्षमतावर्धन :

I. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी विभाग एवं संगठन, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, SRP/DRP, स्वच्छाग्रहियों, हितधारकों इत्यादि का क्षमतावर्द्धन कराया जाएगा।

II. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तरीय वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना तथा प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाएगा एवं तदनुसार क्रियान्वयन कराया जाएगा।

III. ODF-Plus की लक्ष्य प्राप्ति हेतु निगरानी, मूल्यांकन, IEC तथा क्षमतावर्धन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

IV. हितधारकों को आवश्यकता के अनुसार ODF-Plus की परिसंपत्तियों यथा- सोक पिट, कंपोस्ट पिट, धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों, FSM इकाइयों का निर्माण, मरम्मत अथवा रखरखाव विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं इस हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर एवं योजना तैयार की जायेगी।

7.3 प्रखंड / ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमतावर्धन:

I. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा तैयार की गयी योजना / मॉड्यूल के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सहित ODF-Plus के घटकों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, शिक्षकों, स्वच्छाग्रही, स्वच्छता चैंपियन, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता यथा - ASHA, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निगरानी समिति सदस्यों इत्यादि का क्षमतावर्धन / उन्मुखीकरण के लिये **प्रखंड / ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण सत्र** आयोजित किये जायेंगे।

II. ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु घरेलू स्तर पर जैविक एवं अजैविक दो भागों में अपशिष्ट का पृथ्थकरण, कंपोस्टिंग द्वारा जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने, घर से निकलने वाले गंदला पानी / धूसर जल का सोक पिट, किचन गार्डन द्वारा निष्पादन, स्वच्छ आदतें इत्यादि के प्रति समुदाय को जागरूक करने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु सामुदायिक आधारित उत्प्रेरण तथा सूचना संवाद संप्रेषण के प्रति ग्राम

पंचायत जनप्रतिनिधियों, स्वच्छाग्रहियों, निगरानी समिति सदस्यों, शिक्षकों, हितग्राहियों इत्यादि का प्रखंड / ग्राम पंचायत विशेष प्रशिक्षण कराया जायेगा।

III. राज्य / जिला स्तर पर विकसित योजना के अनुसार सेवा प्रदाताओं एवं स्थानीय राजमिस्त्रियों को ODF-Plus की परिसंपत्तियां यथा - सोक पिट, कंपोस्ट पिट, धूसर जल प्रबंधन से संबंधित परिसंपत्ति, FSM इकाइयों का निर्माण, मरम्मत, रख-रखाव इत्यादि कौशल का प्रखंड / ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8.0 पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में योजना निर्माण, निधि प्रवाह, समन्वय एवं निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं का अहम योगदान है। ग्राम पंचायत को ODF Plus बनाने की लक्ष्य प्राप्ति हेतु पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे –

I. ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता कार्यों के लिये 15वें वित्त आयोग की निधि, 6वें राज्य वित्त आयोग की निधि, मनरेगा, स्वयं की निधियों इत्यादि के अभिसरण से व्यय किये जाएंगे। ग्राम पंचायतें स्वच्छता संबंधी कार्य एवं सुविधा हेतु CSR निधियों एवं राजस्व सृजन मॉडल इत्यादि से भी निधि जुटा सकती हैं।

II. ग्राम पंचायतों द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं अन्य योजना अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर, स्वच्छता के लिए बुनियादी ढांचा, जल निकासी व्यवस्था इत्यादि परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा।

III. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड / गांव में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन किया जायेगा तथा 15वें वित्त आयोग की निधि, छठे राज्य वित्त आयोग की निधि, मनरेगा इत्यादि से वित्तीय योगदान दिया जायेगा।

8.1 योजना निर्माण :

I. ग्राम पंचायत को ओडीएफ-प्लस बनाने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य-योजना तैयार किया जायेगा। कार्य-योजना निर्माण में ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी गांव / वार्ड को शामिल किया जाएगा तथा अनुमोदन उपरांत वार्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन किया जायेगा।

II. वार्ड स्तर से अनुमोदित ODEF को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं वार्डों के ODEP के आधार पर संपूर्ण ग्राम पंचायत के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय ODEP का निर्माण किया जायेगा।

III. ग्राम पंचायत क्रियान्वयन (GPIC) द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के लिए बनाये जाने वाले ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan) में ग्राम पंचायत को ओडीएफ-प्लस बनाने के लिये अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य-योजना को शामिल कराया जायेगा।

IV. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अंतर्गत क्रमश: अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में पूर्व से गठित जिला योजना समिति एवं प्रखंड स्तर पर पूर्व से गठित पंचायत समिति द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण के योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में परामर्श प्रदान किया जायेगा।

8.2 निधि प्रवाह :

a) ग्राम पंचायत, राज्य की व्यवस्था के अधीन निधियों की प्राप्तकर्ता होंगी तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आधारभूत/ बुनियादी अवसंरचनाओं के वित्तपोषण के लिये अपने स्वयं के संसाधन अन्य स्रोतों से यथा- MPLAD/MLALAD/CSR / मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग के Tied Fund एवं षष्ठम् (6^{th}) राज्य वित्त आयोग से अभिसरण कर अतिरिक्त निधियां प्राप्त कर सकेंगी।

b) पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा षष्ठम् (6^{th}) राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि से भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लगभग 5 लाख रूपये प्रति पंचायत की राशि कर्णांकित किये जाने की

अनुशंसा की है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से जो कार्य नहीं हो पाएगें, उन बचे हुए कार्यों को इससे प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

c) ग्राम पंचायतें 15वीं वित्त आयोग के अनुदानों से सुनिश्चित करेंगी कि स्वच्छता के लिये अलग से निर्धारित सभी निधियों (Tied Fund) का निवेश एवं उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय। इस क्रम में पंचायती राज विभाग, बिहार एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा संयुक्त पत्र (पत्रांक – 290818 ग्रा. वि. 15 (स्वच्छता) -11/2019 दिनांक 15.09.2020) के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा 15वीं वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त (Tied Fund) राशि का उपयोग 'स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं पेयजल' कार्यों पर किये जाने के संबंध में निर्गत किया गया है।

8.3 अनुश्रवण एवं निगरानी : जिला योजना समिति एवं पंचायत समिति नियमित रूप से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे। ग्राम पंचायतें भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी, साथ ही ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम का सामाजिक ऑडिट कराएंगी एवं स्वच्छता संबंधी सर्वेक्षण में सहायता करेंगी।

9.0 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management):

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ-प्लस बनाए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन आवश्यक है। अपशिष्ट प्रबंधन की सफलता के लिये कार्ययोजना (Action Plan) का निर्माण, नियमानुसार क्रियान्वयन एवं सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान का संचालन महत्वपूर्ण है। इसके क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में यह अपेक्षित है कि अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु अपनायी जाने वाली तकनीक पर्यावरण एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये अनुकूल हो। अपशिष्ट के प्रकार तथा उनकी प्रकृति के आधार पर समुचित निष्पादन संबंधी उपाय निम्नवत हैं –

9.1. ठोस अपशिष्ट के प्रकार:

I. जैविक अपशिष्ट (Biodegradable Waste)
II. अजैविक-प्लास्टिक अपशिष्ट (Non-Biodegradable Plastic Waste)

9.1.1 जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्न सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा :

I. घरेलू स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन तथा पुन: उपयोग (Reuse) को प्रोत्साहित किया जाना।
II. ग्राम पंचायत / समुदाय स्तर पर कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाना।
III. जैविक अपशिष्ट से तैयार होने वाले खाद, बायोगैस, इत्यादि के लिए बाजार लिंकेज सुनिश्चित किया जाना अथवा इन उत्पादों को घरेलू / सामुदायिक स्तर पर उपयोग हेतु प्रेरित किया जाना।
IV. पशुजनति अपशिष्ट (जैविक अपशिष्ट की एक श्रेणी यथा गोबर) का स्थानीय स्तर पर उचित निपटान हेतु प्रोत्साहित करना।

9.1.2 अजैविक अपशिष्ट (Non-Biodegradable Plastic Waste/ E-Waste):

प्राकृतिक/जैविक प्रक्रिया से नष्ट नहीं होने वाले अपशिष्ट, अजैविक अपशिष्ट हैं सूखा कचरा हैं यथा- धातु, फाइबर, कांच, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। इनका निष्पादन मुख्यत: पुनर्उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle) हेतु विक्रय द्वारा किया जाता है।

9.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management):

अजैविक अपशिष्ट का ही एक प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रण, भंडारण, ढुलाई और निपटान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे :-

I. ग्राम / वार्ड स्तर पर घर-घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रह (पैडल रिक्शा / हाथ ठेला द्वारा) किया जाना एवं उसी ग्राम (वार्ड) में बसावट से कुछ दूर निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट का संग्रह कराया जाना तथा अपशिष्ट का पृथक्करण (Segregation) किया जाना।

II. ग्राम / वार्ड स्तरीय संग्रह केंद्र से अपशिष्ट को ग्राम पंचायत स्तर पर बने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (Waste Processing Unit) पर ई-रिक्शा या मोटर चालित वाहन से परिवहन कर लाया जाना एवं वहां अपशिष्ट का पुन: पृथ्थकरण (segregation) तथा समुचित निपटान (Disposal) का क्रियान्वयन।

III. अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) पर पृथक (Segregate) किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा कबाड़ी विक्रेता को रिसायकल हेतु उपयुक्त प्रक्रिया से बिक्री किया जाना अथवा परिवहन कर प्रखण्ड में कलस्टर स्तर पर स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र पर भेजा जाना।

IV. प्रखंड स्तर पर संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र द्वारा सभी वैध पंजीकृत कबाड़ी विक्रेता (Scrap dealer) एवं पुनर्उपयोग करने वाले संस्थान (Recycler) को संग्रहित एवं सघन किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट को उपयुक्त प्रक्रिया से विक्रय या संबंधित विभाग (यथा - सड़क निर्माण, सीमेंट उद्योग आदि) से उचित निपटान हेतु अभिसरण। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

V. प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाली आय का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन एवं प्रबंधन हेतु व्यय किया जा सकता है।

9.2. तरल अपशिष्ट प्रबंधन:

तरल अपशिष्ट के सुनियोजित प्रबंधन नहीं होने के कारण समुदाय में कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है एवं यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अतएव इसका सुरक्षित निपटान आवश्यक है। इसे मुख्यत: दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

9.2.1.ग्रे (धूसर) जल (Grey Water):

स्नानघर (बाथरूम), कपड़े एवं रसोई धोने से निकलने वाले अपशिष्ट जल को धूसर जल कहते है। धूसर जल को न्यूनतम उपचार की आवश्यकता होती है और आमतौर पर इसमें कम रोगजनक विषाणु/किटाणु पाये जाते हैं। इसका निष्पादन लीच पिट, मैजिक पिट, सोख्ता गड्ढा, अपशिष्ट स्थितिकरण पोखर (Waste Stabilization Pond) इत्यादि विधि द्वारा किया जायेगा। ग्रे (धूसर) जल को उपचारित कर कृषि, शौचालय के साफ-सफाई, मल निपटान, किचन गार्डन, सिंचाई में उपयोग करने हेतु समुदाय को प्रोत्सहित किया जायेगा।

I. घर से निकलने वाले धूसर जल को समुदाय द्वारा घरेलू स्तर पर सोख्ता, किचन गार्डन आदि के माध्यम से समुचित निपटान किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

II. ग्राम पंचायत, जिनकी जनसंख्या 5000 से कम है, वहां लीच पिट, मैजिक पिट तथा सोख्ता गड्ढा का समुदाय स्तर पर आवश्यकतानुसार निर्माण किया जा सकता है।

III. ग्राम पंचायत , जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है वहां पर सामुदायिक सोख्ता गड्ढा, अपशिष्ट स्थितिकरण पोखर (Waste Stabilization Pond) अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान 15वीं वित्त आयोग अनुदान अथवा केन्द्र / राज्य सरकार के किसी योजना के साथ अभिसरण द्वारा किया जा सकता है।

9.2.2.ब्लैक (मलिन) जल (Black Water):

शौचालय से निकला हुआ जल, जिसमे मानव मल का अंश मिला हुआ हो, उसे मलिन जल कहा जाता है। मलिन अपशिष्ट प्रबंधन में सुरक्षित तरीके से ऑन-साईट सैनिटेशन सिस्टम से मलिन अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई, शोधन एवं निपटान शामिल है I इसके सुरक्षित निपटान से पहले इसका जैविक और रसायनिक उपचार करना आवश्यक होता है | सेप्टिक टैंक से निकलने वाला मलयुक्त जल (ब्लैक वाटर) का निपटान हेतु घरेलू स्तर पर सैप्टिक टैंक से सटे सोख्ता गढ़ढे के निर्माण हेतु सामुदाय को प्रेरित किया जायेगा एवं सुनिश्चित किया जाए कि मलयुक्त जल के निकासी सीधे ग्राम के नाली न किया जाए।

9.2.3. मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (Faecal Sludge Management):

मलयुक्त कीचड़ (Faecal Sludge) का उचित प्रबंधन हेतु आकलन (Survey) किया जाएगा एवं तदनुसार उपयुक्त तकनीक का चुनाव किया जायेगा। तदोपरांत कार्य योजना का निर्माण कर मलयुक्त कीचड़ का क्रियान्वयन किया जायेगा, इस कार्य में प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन हेतु एवं निम्न तकनीकों का चयन किया जा सकता है यथा :-

I. उपलब्ध STP/FSTP पर को-ट्रीटमेंट
II. ट्रेंचिंग
III. मोबाईल ट्रीटमेंट इकाई (दूर दराज के गांव के लिए)

मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के क्रियान्वयन में डेवलपमेंट पार्टनर, उद्यमियों एवं एजेंसियो का सहयोग लिया जा सकता है।

9.3 . गोबरधन (GOBAR-dhan):

गोबर-धन, SLWM का एक अभिन्न अंग है, ग्रामीणों के जन जीवन में सुधार हेतु मवेशियों के कचरे, रसोई के अपशिष्ट, फस्ल के अवशेष और बाजार के कचरे सहित जैव अपशिष्टों को बायोगैस और बायो-स्तरी में बदलकर गांवों में स्वच्छता सुनिश्चत करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुदृढ़ करने के साथ ही आजीविका के भी नये अवसर सृजित होंगे। इस योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका पेयजल एवं जल स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा अलग से प्रेषित की गयी है, जिसके अलोक में क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर उपलब्ध बायोगैस टेक्नीशियन्स का सहयोग क्रियान्वयन हेतु प्राप्त किया जाएगा।

9.4 मृत पशुओं का निपटान:

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों में मृत पशुओं का निपटान भी आवश्यक है। मृत पशुओं के वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटान हेतु उचित तकनीकी विधियों का अध्ययन कर इसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मृत पशुओं के उचित निपटान हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की गई है जिसमें मृत पशुओं के शव का उचित एवं पर्यावरण अनुकूल निपटान हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। मृत पशु के निपटान में होने वाले व्यय 15वीं वित्त आयोग एवं 6th राज्य वित्त आयोग (Tied Fund) से किया जा सकता है।

9.5 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न मॉडल :

I. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - द्वितीय चरण के दिशा-निर्देश के अलोक में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तकनीकी विकल्प उपलब्ध है तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी वर्णित है जिसमें अनुमानित लागत तथा विशिष्ट तकनीकी विनिर्देश भी वर्णित है -

(a) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प :-

i. कृषि एवं मवेशी जनित अपशिष्ट : कंपोस्टिंग, बायोगैस
ii. घर एवं सार्वजनिक जगह से निकलने वाला गीला (जैविक) कचरा : कंपोस्टिंग
iii. सूखा (अजैविक) अपशिष्ट (प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि) : पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण
iv. जैव चिकित्सीय कचरा, ई-कचरा एवं अन्य अपशिष्ट : वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निपटान।

(b) तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प :-

i. घर से निकलने वाला बेकार पानी/धूसर जल (Grey Water): सोख्ता गड्ढा, मैजिक पिट,लीच पिट, बागवानी या किचन गार्डन
ii. समुदाय स्तर पर धूसर जल (Grey Water) : सामुदायिक सोख्ता गडढा, डक-वीड प्रणाली, जल स्थिरीकरण तालाब (WSP), निर्मित वेटलैंड
iii. शौचालय से निकलने वाला काला पानी (Black Water) : सोख्ता गड्ढा, को ट्रीटमेंट (STP), ट्रेंचिंग

II. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा UNICEF के सहयोग से SLWM क्रियान्वयन हेतु तकनीक चयन के लिए प्रकाशित हैंडबुक का भी उपयोग किया जा सकता है।

III. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न मॉडल के प्रदर्शन एवं अन्य कर्मियों / ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण कार्य हेतु किसी ग्राम पंचायत में एक मॉडल विकसित किया जा सकेगा जिसका व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के IEC मद से या लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत प्रावधानित मद से किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किये जाएंगे।

9.6 ODF- प्लस बेसलाइन सर्वेक्षण : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निदेशानुसार ओडीएफ-प्लस के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से संबंधित परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिये ODF-Plus बेसलाईन (प्रारंभिक अवस्था) सर्वे किया गया है। ODF-Plus बेसलाइन सर्वेक्षण अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों में वैसे सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े परिसंपत्तियों का सर्वे किया गया है, जिनका निर्माण केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ अन्य योजना/ स्वनिर्मित आदि द्वारा 31 मार्च, 2020 से पूर्व किया गया है। इस सर्वे में निम्नलिखित सूचक (Indicator) की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गयी है एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की जिओ-टैगिंग की गयी है :

I. जिला या अनुमंडल स्तर पर मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (FSM) हेतु इकाई एवं गोबरगैस इकाई।
II. प्रखंड में स्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई संयंत्र।
III. सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
IV. सामुदायिक / घरेलू स्तर पर कंपोस्ट पिट, बायो गैस संयंत्र।
V. सामुदायिक / घरेलू स्तर पर पर सोक पिट / लीच पिट / मैजिक पिट /अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब(WSP) / विकेंद्रीकृत अपशिष्ट संसाधन सिस्टम (DEWATS)।
VI. अपशिष्ट संग्रहण (Collection) एवं पृथक्करण शेड (Segragation Unit)।
VII. अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु वाहन इत्यादि।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण **अंतर्गत ठोस एवं तरल प्रबंधन की प्रभावी** आयोजना एवं क्रियान्वयन में ODF-Plus बेसलाइन सर्वेक्षण के प्राप्त परिणाम का उपयोग किया जायेगा।

9.7 ओडीएफ प्लस (ODF-Plus) से संबंधित मैन्युल एवं टुलकिट:

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वारा ओडीएफ प्लस (ODF-Plus) से संबंधित 06 घटकों पर विस्तृत तकनीकी एवं अन्य जानकारी हेतु मैन्युल के साथ टुलकिट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु सामग्री स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के वेबसाईट पर दिये गए लिंक https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/technical-notes.htm पर उपलब्ध है। उपलब्ध सामग्री का उपयोग जिला, प्रखण्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने एवं कार्यरत कर्मियों, स्वच्छाग्रहियों के प्रशिक्षण, समुदाय में जागरूकता एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में संदर्भ सामग्री के रूप में किया जाएगा।

9.8 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता :

ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कुशल क्रियान्वयन एवं अनुसमर्थन हेतु मानव संसाधन की निम्न उपलब्धता है :

(क) वार्ड स्तर:

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर - घर कचरा उठाव / संग्रहण / परिवहन, पृथ्थकरण एवं प्रसंस्करण हेतु प्रति वार्ड दो स्वच्छता कर्मी को रखा जा सकता है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता कर्मी का चयन किया जायेगा, इसके लिये महिला / जीविका स्वयं सहायता समूह के इच्छुक सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) ग्राम स्तर

I. ग्राम स्तर पर संपूर्ण स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता के प्रसार एवं अन्य संबंधित कार्यों के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर आवश्यकतानुसार स्वच्छाग्रही हैं, जिनका कार्य स्वैच्छिक है। ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन एवं सामुदायिक व्यवहार परितर्वन के लिये कार्य आधरित मानेदय इत्यादि के संबंध में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का स्वच्छाग्रही मार्गदर्शिका पत्रांक BRLPS/LSBA/PROJ/162/20/688 दिनांक 27.11.2020 का अनुपालन किया जाना है।

II. व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक स्वच्छंता परिसर के निरंतर उपयोग तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व की निगरानी हेतु समुदाय स्तर पर निगरानी समिति का गठन / पुर्नजीवित किया जा सकता है। निगरानी समिति का कार्य स्वैच्छिक है। निगरानी समिति सदस्यों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति क्षमतावर्धन कर सतत सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना है।

(ग) ग्राम पंचायत स्तर

I. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामान्यत: पांच मानव बल होंगे, जिसमें प्रति ग्राम पंचायत एक स्वच्छता पर्यवेक्षक, ई-रिक्शा / रिक्शा / मोटर चलित रिक्शा परिचालन हेतु चालक तथा अपशिष्ट के संग्रहण हेतु अधिकतम एक स्वच्छता कर्मी तथा ग्राम पंचायत स्तरीय Waste Processing Unit (WPU) हेतु दो स्वच्छता कर्मी का चयन किया जायेगा। ई-रिक्शा / रिक्शा / मोटर चलित रिक्शा परिचालन तथा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए रखे गए स्वच्छताकर्मी इस कार्य के सम्पादन के पश्चात ग्राम पंचायत स्तरीय Waste Processing Unit (WPU) पर भी योगदान देंगे।

II. स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन, कार्य, योगदान शर्तें, मानदेय इत्यादि से संबंधित दिशा-निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

III. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु मानब बल, स्वच्छाग्रही, निगरानी समूह के सदस्य, समुदाय आधारित संस्था, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधियों इत्यादि को प्रशिक्षित किया जाएगा।

IV. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य करने वाले सभी मानव बल को कार्य आधारित उपलब्ध संसाधन के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर द्वारा निर्धारित मानदेय का वितरण किया जायेगा। मानदेय ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के आधार पर किया जाएगा।

(घ) प्रखंड स्तर :

I. प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई के सहयोग हेतु प्रखंड समन्वयक, डाटा इंट्री ऑपरेटर तथा वार रूम कर्मी हैं।

II. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जन जागरूकता तथा समुदायिक व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण (Community Mobilization) के लिये राज्य संसाधन सेवी (SRP) तथा जिला संसाधन सेवा (DRP) का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा जारी दिशा-निदेश के अनुसार उनसे योगदान प्राप्त किया जाना है।

(ङ) जिला स्तर

जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा अन्य तकनीकी सलाहकार यथा जिला सलाहकार - क्षमता संवर्धन एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (CB & IEC), जिला सलाहकार-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E), जिला सलाहकार / सलाहकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM), डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यादि हैं :

ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन, मानदेय संबंधित विवरण निम्न है :

क्र. सं.	कार्यान्वयन इकाई	संख्या	चयन एवं विमुक्ति प्रक्रिया	संभावित मानदेय (ग्राम पंचायत के अनुशंसा के आधार पर)	राशि का प्रावधान
1	वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति	**संख्या- 02** (दो स्वच्छता कर्मी प्रति वार्ड)	वार्ड सभा द्वारा ग्राम पंचायत को अनुशंसा के आधार पर किया जाना	• न्यूनतम – 1,500/- रुपये एवं अधिकतम 3,000 /- रुपये प्रति माह, प्रति स्वच्छता कर्मी (कार्य आधारित)	प्रथम वर्ष में SBM(G) से, तदोपरांत ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग के Tied निधि से।
2	ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति	**सामान्यत: मानव बल की कुल संख्या – 05 (एक – स्वच्छता पर्यवेक्षक,** **दो स्वच्छता कर्मी -** ग्राम पंचायत स्तरीय Waste Processing Unit हेतु, **दो स्वच्छता कर्मी** (रिक्शा/मोटर चलित रिक्शा/ ई-रिक्शा के परिचालन एवं अपशिष्ट संग्रहण हेतु)	ग्राम पंचायत के अनुशंसा के आधार पर	(i) स्वच्छता पर्यवेक्षक – न्यूनतम 5,000/- रुपये प्रति माह एवं अधिकतम 7,500/- रुपये प्रति माह (कार्य आधारित) (ii) स्वच्छता कर्मी - न्यूनतम 1,500/- रुपये प्रति माह एवं अधिकतम 3,000/- रुपये प्रति माह (कार्य आधारित) (iii) मोटरचलित वाहन के चालक को – 2000- 3500 तक	प्रथम वर्ष में SBM(G) से, तदोपरांत ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग के Tied निधि से।

नोट: ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु कार्यरत सभी कर्मियों को विभिन्न अन्य विभागीय योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा।

9.9 राशि आवंटन का प्रवाह (Fund Flow):

I. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की स्वीकृत राशि को किश्तों में क्रियान्वयन एजेंसी यथा- प्रखण्ड / ग्राम पंचायत /तकनीकी विभाग / संस्थान को हस्तांतरित की जायेगी।

II. ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना स्वीकृत राशि का 30 प्रतिशत 15वीं वित्त आयोग (Tied Fund) स्वच्छता मद से व्यय की जायेगी।

III. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत कार्य योजना का राशि का हस्तांतरण उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा (डिजिटल माध्यम से) किया जायेगा।

IV. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन / स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन इकाई - ग्राम पंचायत / प्रखंड क्रियान्वयन इकाई को DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण किया जायेगा।

10. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृत कार्ययोजना संबंधित राशि के हस्तांतरण हेतु प्रावधान:

ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना की सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति उपरांत अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित निधि में 70% SBM (G) तथा 30% 15वीं वित्त आयोग अनुदान (Tied Fund) से व्यय किया जाना है। इसे निम्नवत दो किश्तों में हस्तांतरित किया जाना है –

क्रमांक	किश्त एवं प्रतिशत	राशि संबंधित प्रावधान
1	**60% राशि – (प्रथम किश्त)** स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत चिन्हित 70% राशि का	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के स्वीकृत कार्य योजना बजट का 60% (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत चिन्हित 70% राशि का) राशि तक प्रथम किश्त के रूप में ग्राम पंचायत / प्रखण्ड/ क्रियान्वयन एजेन्सी को क्रियान्वयन हेतु हस्तांतरित किया जाएगा (प्रथम किश्त के रूप में निर्धारित सकल राशि में 70 % अंशदान स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) से एवं शेष 30 प्रतिशत अंशदान 15वीं वित्त आयोग (Tied Fund) स्वच्छता मद के अभिसरण (Convergence) से किया जाना है)। (ग्राम पंचायतें 15वीं वित्त आयोग के अनुदानों से सुनिश्चित करेंगी कि स्वच्छता के लिये अलग से निर्धारित सभी निधियों (Tied Fund) का निवेश एवं उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय।)
2	**40% राशि – (द्वितीय किश्त)** स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत चिन्हित 70% राशि का	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण से प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध कराये गये 60 प्रतिशत राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने (ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र आधार पर) एवं स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण द्वारा प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त राशि के अनुपात में 15वीं वित्त आयोग अनुदान की राशि प्राप्ति होने के उपरांत दूसरी किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि हस्तांतरित की जायेगी। (ग्राम पंचायतें 15वीं वित्त आयोग के अनुदानों से सुनिश्चित करेंगी कि स्वच्छता के लिये अलग से निर्धारित सभी निधियों (Tied Fund) का निवेश एवं उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय।)

11. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु संबंधित उपकरण के मानक एवं खरीद की प्रक्रिया:

ग्राम पंचायतों द्वारा Bihar Financial Rules के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी उपकरणों का प्रोक्योरमेंट (खरीद) किया जायेगा। सभी उपकरण मानक के अनुरुप क्रय किये जाएंगे तथा नियमानुसार स्टॉक पंजी संधारित की जायेगी।

12. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से संबंधित कानूनी प्रावधान :

12.1 ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावाधानों के आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाएगा –

I. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार, ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ठोस एवं तरल अपशिष्ट की जिम्मेदारी प्रदत्त है।

II. ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट द्वारा निर्मित जैविक खाद की गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तकनीकी संस्थाओं से जुड़ सकती है।

III. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, 2017 के अनुसार अपशिष्ट निर्वहन मानकों के अनुसार किया जाता है।

प्रसंग हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियम-कानून निम्न दस्तावेज ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है :

- Plastic Waste Management Rules 2016
- e-waste (Management) Rules, 2016
- Bio-Medical Waste Management Rules,2016
- Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016
- Hazardous and Other Wastes (Management and
- Transboundary Movement) Rules, 2016
- Solid Waste Management Rules, 2016

13. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण की आयोजना (Planning):

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्नवत तीन स्तर पर आयोजना (Planning) की जायेगी-

13.1 ग्राम पंचायत कार्य-योजना : ग्राम पंचायत को ODF-Plus ('खुले में शौच से मुक्ति' सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन) बनाने तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन हेतु ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी वार्ड / गांव की भागीदारी से ग्राम पंचायत कार्य-योजना का निर्माण किया जायेगा, इसमें निम्न अवयवों को शामिल किया जायेगा:

I. वार्ड / ग्राम पंचायत स्तरीय ODEP के आंकड़े तथा रणनीति को ग्राम पंचायत कार्य-योजना में शामिल कर 'खुले में शौच से मुक्ति' एवं व्यवहार परिवर्तन के स्थायित्व की कमियों (Gap) को दूर किया जायेगा।

II. किसी कारणवश छूटे हुये एवं नये घरों में व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की सुलभता प्रदान करने हेतु लाभार्थियों की संख्या।

III. व्यक्तिगत शौचालय के निरंतर उपयोग, रखरखाव, सामान्य मरम्मत तथा तकनीकी कमियों को रेट्रोफिटिंग द्वारा दूर किये जाने की आवश्यकता से संबंधित लोगों की पहचान, संख्या निर्धारण तथा क्रियान्वयन।

IV. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, अनुसूचित जाति / जनजाति, चलंत एवं अस्थायी आबादी इत्यादि को शौचालय की सुलभता से आच्छादन हेतु के लिये सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय का निर्माण हेतु संख्या निर्धारण, संचालन तथा रखरखाव हेतु प्रणाली एवं निधियन।

V. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं अन्य योजनाओं से निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय की आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग।

VI. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, संसाधन की सुलभता, परिसंपत्ति निर्माण, संचालन, रखरखाव, स्टाफिंग, निधियन इत्यादि।

VII. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छाग्रहियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ASHA, समुदाय के प्रमुख लोग, हितग्राहियों, शिक्षक तथा सभी हितग्रहियों को ODF-Plus के प्रति क्षमतावर्धन उन्मुखीकरण

VIII. लक्ष्य प्राप्ति हेतु IEC / BCC / IPC की गतिविधियों का संचालन, गतिविधियों का कैलेंडर तथा कार्य संपादन टाइमलाइन।

IX. स्वच्छता (ODF-Plus) संबंधी संसाधन / परिसंपत्तियों के वार्षिक संचालन तथा रखरखाव एवं इस हेतु लागत को पूरा करने के लिये निधियों के स्रोत की पहचान करना निधि प्रबंधन

X. ग्राम पंचायत स्तरीय कार्ययोजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त होने के उपरांत प्रखंड के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

XI. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-योजना निर्माण हेतु कार्य-योजना प्रपत्र (Action plan format) सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न किया जा रहा है।

XII. वार्षिक कार्ययोजना का ससमय क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण, निगरानी एवं सत्यापन।

13.2 जिला स्वच्छता योजना : जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों की कार्य-योजना, ODEP, ODF-Plus बेसलाइन सर्वे के आंकड़े तथा तथ्यों, प्रखंड एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यकलापों को समाहित करते हुये वार्षिक जिला स्वच्छता योजना तैयार किया जायेगा। जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा :

I. किसी कारणवश शौचालय की सुलभता से छूटे हुये तथा नये घरों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराया जाना।

II. भूमिहीन, अनुसूचित जाति / जनजाति, चलंत एवं अस्थायी आबादी के लिये सामुदायिक स्वच्छता परिसर / कलस्टर शौचालय के निर्माण हेतु संख्या निर्धारण, संचालन, रखरखाव हेतु निधि प्रबंधन।

III. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों, सहयोगी विभाग एवं संगठनों के अधिकारी / कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों, फ्रंटलाइन कर्मियों, ODF-Plus गतिविधियों से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि, शिक्षक सहित समस्त हितग्राहियों के क्षमतावर्धन हेतु योजना, कैलेंडर तथा निधि प्रबंधन।

IV. ODF-Plus संबंधी संदेशों के संप्रेषण के लिये सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC / BCC/ IPC) हेतु चैनल एवं टूल का चयन कर गतिविधियों के संचालन की रूपरेखा, कैलेंडर तथा रणनीति निर्माण, सामुदायिक उत्प्रेरण क्रियाकलाप, मीडिया प्रबंधन योजना, सामुदायिक उत्प्रेरण हेतु प्रिंट, ऑडियो-विजुअल संसाधन का विकास, समुदाय स्तर पर संवाद संप्रेषण IEC संसाधनों की उपलब्धता, सेवा प्रदाताओं की पहचान, कार्य संपादन शर्त निर्धारण, सोशल मीडिया से संवाद संप्रेषण, प्रभाव अध्ययन, सत्यापन, लागत का आकलन एवं अनुश्रवण मैकेनिज्म इत्यादि।

V. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थल चयन, संसाधन विकास, रणनीति निर्माण, क्रियान्वयन रणनीति, निगरानी एवं निधि प्रबंधन।

VI. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये इकाइयों के निर्माण की संख्या एवं संचालन विवरण।

VII. बायो-डिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चुने गए गांवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या एवं प्रकार।

VIII. धूसल जल प्रबंधन के लिये चुने गए गांवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या निर्धारण एवं क्रियान्वयन।

IX. FSM एवं गोबरधन हेतु स्थल चयन, संसाधन निर्माण, क्रियान्वयन एवं निधि प्रबंधन।

X. ODF Plus कार्यकलाप को पूरी तरह वित्तपोषित करने के लिये 15वीं वित्त आयोग, 6वें राज्य वित्त आयोग, MGNREGS, CSR, व्यवसायिक मॉडल आदि से धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिसरण।

XI. जिले की विशेष चुनौती, जोखिमों एवं ऐसे मुद्दे जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे जिला योजना में रेखांकित करते हुये समाधान का विवरण दिया जायेगा।

XII. गतिविधियों का कैलेंडर, टाइम लाइन सहित मदवार व्यय का आकलन।

XIII. निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन व्यवस्था।

जिला जल स्वच्छता समिति द्वारा जिला स्वच्छता योजना को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा एवं अवलोकन तथा Feedback हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। राज्य कार्यालय के सुझावों को शामिल करते हुये DWSC द्वारा जिला स्वच्छता योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

13.3 राज्य योजना : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन्न इकाई द्वारा सभी जिलों की अनुमोदित जिला स्वच्छता योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण परियोजना अवधि हेतु परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाया जायेगा एवं वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार किया जाएगा।

13.4 परियोजना कार्यान्वयन योजना (Project Implemenation Plan) : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छता संबंधी स्थिति, विशेष चुनौतियों एवं मुद्दों की पहचान करते हुये राज्य अंतर्गत जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली स्वच्छता संबंधी सभी गतिविधियों को समाहित करते हुये वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि हेतु परियोजना कार्यान्वयन योजना (PIP) तैयार किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण (SBMG-द्वितीय चरण एवं LSY-द्वितीय चरण) अंतर्गत वर्ष 2024 - 25 तक राज्य के सभी ग्राम पंचातयों को ODF- Plus बनाने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु ODF स्थायित्व एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु गतिविधि / अवयव वार अनुमोदित परियोजना बजट अनुलग्नक में संलग्न है।

(अनुलग्नक : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण की स्वीकृति)

13.5 वार्षिक क्रियान्वयन कार्ययोजना (Annual Implementation Plan) : ग्राम पंचायतें सभी स्वच्छता गतिविधियों (LSBA, 15वें वित्त आयोग तथा 6वें राज्य वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा से की जाने वाली गतिविधियां सहित) के लिये अपनी ग्राम कार्य योजना (VAP) तैयार करेंगी और उन्हें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करेंगी। जिलों द्वारा ग्राम कार्य योजना, प्रखंड तथा जिला स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी ओडीएफ-प्लस अवयवों / गतिविधियों को शामिल करते हुये एक वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक क्रियान्वयन कार्ययोजना (AIP) तैयार की जायेगी। जिला द्वारा योजना तैयार करते समय गतिविधियों की संख्या, गतिवधिवार वित्तपोषण स्रोतों (यथा SBMG द्वितीय चरण, LSY द्वितीय चरण, 15वें वित्त आयोग निधि, 6वें राज्य वित्त आयोग निधि, मनरेगा, CSR इत्यादि), कार्यान्वयन रणनीति, क्षमतावर्धन तथा संचार योजना, निरीक्षण एवं अनुश्रवण इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिला स्तरीय AIP को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा सुझाव एवं प्रतिपुष्टि (Feedback) हेतु SPMU को प्रेषित किया जायेगा।

जिलों की AIP तथा राज्य स्तर द्वारा ओडीएफ-प्लस संबंधी गतिविधियों, नवोन्मेषी अभियान, क्षमतावर्धन, सूचना शिक्षा एवं संचार योजना, निरीक्षण, अनुश्रवण, सत्यापन इत्यादि गतिविधियों को समाहित करते हुये एक वित्तीय वर्ष

के लिये राज्य स्तरीय वार्षिक क्रियान्वयन कार्ययोजना (AIP) तैयार किया जायेगा तथा अनुमोदन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोषित किया जायेगा।

14.0 स्वच्छाग्रही :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 'खुले में शौच से मुक्त' बनाये रखने (ODF-S) एवं सभी ग्राम पंचायतों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा ODF-Plus बनाने में स्वच्छाग्रही की महत्वपूर्ण भूमिका है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में प्रति गांव एक स्थानीय स्वच्छाग्रही से योगदान लिया जा सकेगा। गांव के ऐसे शिक्षित युवक / युवती जो अपने गांव को ओडीएफ - प्लस बनाने के कार्य में स्वैच्छिक योगदान देना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर उनसे सहयोग प्राप्त किया जाएगा। विदित है कि स्वच्छाग्रही कोई स्थायी / अस्थायी पद, पदनाम या नौकरी नहीं है एवं स्वच्छाग्रहियों से आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि के लिए योगदान प्राप्त किया जाएगा एवं कार्य के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्वच्छाग्रहियों के कार्य, प्रशिक्षण, कार्य आधारित मानदेय इत्यादि के संबंध में निर्गत निदेश (पत्रांक BRLPS/LSBA/
Proj/162/20/688, दिनांक 27.11.2020) का अनुपालन किया जायेगा।

14.1 स्वच्छाग्रही के कार्य:

I. व्यवहार परिवर्तन को स्थायी बनाकर गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखना।
II. IPC, समूह चर्चा, रात्रि चौपाल, Triggering आदि के माध्यम से लोगों को ODF-S / ODF-Plus के प्रति उत्प्रेरित करना।
III. गांव में निगरानी समिति को सक्रिय करना एवं समुदाय के साथ सुबह-शाम निगरानी करना।
IV. किसी कारणवश छूटे हुए घरों में शौचालय निर्माण हेतु उत्प्रेरित करना एवं लाभार्थी द्वारा पर्यावरण अनुकूल शौचालय (दो गड्ढे वाला सोख्ता शौचालय, इकोसेन आदि) निर्माण में सुगमता प्रदान (Facilitate) करना।
V. शौचालय की रेट्रोफिटिंग एवं उन्नतीकरण (Improvisation) हेतु संबंधित परिवार को उत्प्रेरित करना।
VI. जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतें अपनाने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
VII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Management) के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

15.0 राज्य संसाधनसेवी (SRP) / जिला संसाधन सेवी (DRP):

व्यवहार परिवर्तन के दृष्टिगत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़े हुए जिला / प्रखंडों में सहयोग देने, समुदायों को उत्प्रेरित करने, प्रशिक्षण आदि हेतु आवश्यकतानुसार जिला / प्रखंड में निर्धारित अवधि के लिए SRP / DRP को प्रतिनियुक्त किये जा सकेंगे। SPMU द्वारा सभी SRP / DRP को ODF-Plus केंद्रित क्षमतावर्धन कराया जाएगा। विदित है कि राज्य संसाधनसेवी / जिला संसाधन सेवी कोई स्थायी / अस्थायी पद, पदनाम या नौकरी नहीं है एवं आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि के लिए योगदान प्राप्त किया जाएगा तथा कार्य के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

राज्य संसाधन सेवी / जिला संसाधन सेवी द्वारा संपादित कार्यों का अनुश्रवण संबंधित जिला एवं SPMU द्वारा किया जाएगा। उनके योगदान हेतु पात्रता, कार्य, सेवा शर्त एवं मानदेय से संबंधित निर्गत मार्गदशिका (पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/102/19/156, दिनांक 03.07.2020) का अनुपालन किया जायेगा।

16.0 वार रूम (War Room):

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीच चरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर संपर्क सह निगरानी केंद्र (War Room) की स्थापना आवश्यकतानुसार की जायेगी। वार रूम में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, रेट्रोफिटिंग, CSC निर्माण तकनीक, रख-रखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों यथा - कंपोस्टिंग, व्यक्तिगत सोख्ता, सामुदायिक सोख्ता, WSP, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, गोबर-धन, FSM इत्यादि की तकनीक एवं प्रणालियों से संबंधित सचित्र

सूचनायें, ODF-Plus संसाधन / परिसंपत्ति के तकनीकी विशेषज्ञों, निर्माताओं, निर्माण एजेंसी इत्यादि का संपर्क पता एवं नंबर जनसमुदाय की सुगमता हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे।

वॉर रूम के माध्यम से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण के क्रियान्वयन की निगरानी, सघन अनुश्रवण, सूचना संग्रह, जन शिकायत दर्ज करने एवं निवारण तथा राज्य / जिला / प्रखंड द्वारा निदेशित कार्य किये जाएंगे। वार रूम के संचालन, वार रूम में योगदान देने वाले स्वच्छाग्रहियों के कार्य, मानदेय इत्यादि से संबंधित निर्गत निदेश (पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/176/20/696, दिनांक 02.12.2020) का अनुपालन किया जाएगा।

17.0 वित्तीय आयोजना और कार्यक्रम निधियन : ग्रामीण स्वच्छता के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों जैसे केंद्रीय निधि, राज्य निधि, 15वें वित्त आयोग का अनुदान, 6वें राज्य वित्त आयोग का अनुदान, मनरेगा, CSR निधि, व्यावसायिक मॉडल / PPP के तहत उपलब्ध समस्त निधियां इत्यादि को एकत्र करते हुये वर्षवार वित्तीय योजना तैयार की जायेगी।

17.1 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण (SBM-G एवं LSY) के अंतर्गत कार्यक्रम हेतु वित्तपोषण प्रावधान :

17.1.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत हेतु विभिन्न मद और अनुमोदित वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

मद		वित्तीय सहायता		
वैयक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण के लिये प्रोत्साहन राशि		12000/-(बारह हजार) रुपये (साफ-सफाई रखने के लिये धुलाई करने और हाथ धोने हेतु पानी के भंडारण सुविधा व्यवस्था सहित) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रावधानित चिन्हित परिवार के अतिरिक्त छूटे हुए APL परिवारों को 12,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि "लोहिया स्वच्छता योजना" मद से देय होगी।		
SLWM गतिविधियां	ग्राम स्तरीय SLWM गतिविधियां	गांव की जनसंख्या		
		5000 तक	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	धूसर जल (Grey Water) प्रबंधन
			रु 60/-प्रति व्यक्ति	रु. 280/-प्रति व्यक्ति
		5000 से ऊपर	ठोस अपशिट प्रबंधन	धूसर जल (Grey Water) प्रबंधन
			रु 45/-प्रति व्यक्ति	रु. 660/-प्रति व्यक्ति
		ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपरोक्त प्रावधानित निधि में 70% SBM (G) तथा 30% 15वीं वित्त आयोग अनुदान (Tied Fund) से व्यय किया जाना है। 15वीं वित्त आयोग अनुदान से 30 प्रतिशत व्यय का ससमय अंशदान करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि के शेष होने पर एक-दूसरे मद (ठोस मद का तरल मद में एवं तरल मद का ठोस मद में) में उपयोग किया जा सकता है। जलशक्ति के मंत्रालय के पत्रांक S-11011/2/2020/SBM दिनांक 14.12.2021.		

	जिला स्तरीय SLWM गतिविधियां	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (हर ब्लॉक पर एक)	अधिकतम रु 16.00 लाख प्रति इकाई (आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त धन अन्य विभाग एवं सहयोगी संगठनों के Convergence से जिला / प्रखंड स्तर पर प्राप्त किये जा सकते हैं)
		मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (FSM)	अधिकतम रु 230/-प्रति व्यक्ति (आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त धन अन्य विभाग एवं सहयोगी संगठनों के Convergence से जिल/ प्रखंड स्तर पर प्राप्त किये जा सकते हैं)
		GOBAR-DHAN परियोजना	अधिकतम रु 50.00 लाख प्रति जिला (आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त धन अन्य विभाग एवं सहयोगी संगठनों के Convergence से जिला स्तर पर प्राप्त किये जा सकते हैं)
		ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपरोक्त प्रावधानित निधि में 70% SBM (G) तथा 30% 15वीं वित्त आयोग अनुदान (Tied Fund) से व्यय किया जाना है।	
सामुदायिक स्वच्छता परसिर (CSC)		03 (तीन) लाख रुपये तक (उपरोक्त राशि का 70 प्रतिशत भाग (2,10,000/- रुपये) SBM-G मद से एवं 30 प्रतिशत भाग (90,000/- रुपये) ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान से वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान / छठे राज्य वित्त से व्यय किया जा सकता है।)	
IEC एवं क्षमतावर्धन		कुल परियोजना परिव्यय का 3 प्रतिशत राशि व्यय किया जाएगा (इसमें से 1% तक का उपयोग राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई एवं 2% तक का उपयोग जिला स्तर पर किया जायेगा।) जिला द्वारा IEC हेतु कुल व्यय की राशि में 60 प्रतिशत राशि IPC पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।	
प्रशासनिक व्यय		कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिये कुल परियोजना व्यय का 1%	

17.1.2 लोहिया स्वच्छता योजना - द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय प्रावधान : "लोहिया स्वच्छता योजना" द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2021-2022 से 2024 - 2025 में छूटे हुए लाभार्थियों / तथा नये घरों (चिन्हित APL श्रेणी के परिवार) को व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) से आच्छादन, चिन्हित संविदा कर्मियों के मानदेय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं व्यवहार परिवर्तन में स्थायित्व हेतु प्रावधानित व्यय निम्नवत है :

(i) **"लोहिया स्वच्छता योजना"** द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 60,000 APL श्रेणी के परिवारों को शौचालय से आच्छादन की आवश्यकता होगी। **"लोहिया स्वच्छता योजना"** अंतर्गत वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 में नये घरों (चिन्हित APL श्रेणी के परिवारों) में व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) से आच्छादन पर प्रति लाभार्थी 12,000/- रुपये प्रोत्साहन राशि की दर से प्रावधानित व्यय:

वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 में लक्षित IHHL की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022 -2023 में लक्षित IHHL की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में लक्षित IHHL की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लक्षित IHHL की संख्या	प्रोत्साहन राशि पर प्रावधानित कुल व्यय (12000/- रुपये प्रति व्यक्तिगत शौचालय)
15,000	15,000	15,000	15,000	72.00 करोड़ रुपये

(ii) **"लोहिया स्वच्छता योजना" द्वितीय चरण** अंतर्गत वर्ष 2021-2022 से 2024- 2025 तक संविदा कर्मियों के मानदेय में आंशिक योगदान पर प्रावधानित व्यय –

क्र. सं.	**पदनाम**	**कुल संख्या**	**LSY अंतर्गत प्रावधानित मानदेय (प्रति माह)**	**अभियुक्ति**
1	प्रखंड समन्वयक	534	20,000/- रुपये	शेष राशि SBM-G मद से (पूर्ववत)
2	कंप्यूटर ऑपरेटर	534	15,000/- रुपये	शेष राशि SBM-G मद से (पूर्ववत)
3	**कुल व्यय**	**89.72 करोड़ रुपये**		

(iii) **"लोहिया स्वच्छता योजना"** द्वितीय चरण अंतर्गत SLWM हेतु वर्ष 2021-2022 से 2024–2025 तक कार्य किये जाएंगे, जिसका मदवार विवरण एवं व्यय निम्न है :

क्र. सं.	**मद का नाम**	**प्रति जिला अधिकतम व्यय**	**जिला की संख्या**	**कुल व्यय**
1	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा SLWM से संबंधित वैसे कार्य जो SBM-G में सम्मिलत नहीं हैं।	30.00 लाख रुपये	38	11.40 करोड़ रुपये
2	बाढग्रस्त क्षेत्रों एवं विषम भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावी स्वच्छता तकनीक वाले आधोसंरचना तथा बाढ अनुकूल शौचालय का	25 लाख रुपये	38	9.50 करोड़ रुपये

	निर्माण, इस हेतु नवोन्मेषी तकनीक का प्रयोग अधोसंरचना निर्माण एवं अनुरक्षण।			
3	**कुल**			**20.9 करोड़ रूपये**

18. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण अंतर्गत शौचालय निर्माण, तकनीक एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान :

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे परिवारों तथा नये परिवारों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (IHHL) की सुलभता हेतु उत्प्रेरण एवं शौचालय के स्वनिर्माणोपरांत पात्र लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

एक विधिवत रूप से निर्मित IHHL (i) एक अध:संरचना (जिसमें मानव मल सुरक्षित रूप से एकत्रित किया जाता है और मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले मानव द्वारा इसके निकाले जाने की आवश्यकता समाप्त करता है, (ii) एक उपरी संरचना, और हाथ धोने और सफाई के लिये जल भंडारण की सुविधा की व्यवस्था जिससे समुचित व्यक्तिगत साफ-सफाई सुनिश्चित हो सके।

18.1 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) के निर्माण हेतु तकनीक चयन : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है और इसलिये शौचालय के चयन में सुरक्षित तकनीक विकल्पों का होना महत्वपूर्ण घटक है। ट्विन पिट, सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक, इकोसैन, बायो शौचालय आदि कई सुरक्षित स्वच्छता तकनीक उपलब्ध हैं। क्षेत्र विशेष के टोपोग्राफी, भूजल स्तर, मिट्टी की स्थिति, बाढ, विषम भौगोलिक परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय के तकनीक के चयन की छूट प्रदान की जाती है एवं नमोन्मेषी तकनीकों को अपनाने हेतु जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचातयों को उत्प्रेरित किया जाएगा। उचित रूप से निर्मित ट्विन पिट शौचालयों के कई लाभ हैं, जैसे कम लागत, आसानी से निर्माण और पानी की कम खपत। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) तथा जिला जल एवं स्वचछता समिति (DWSC) द्वारा अन्य सुरक्षित एवं नमोन्मेषी तकनीकों का विकास किया जा सकेगा एवं राज्य द्वारा अनुमन्य तकनीकों तथा उनकी लागत के विषय में लाभार्थी को सूचना शिक्षा एवं संचार द्वारा जागरूक किया जायेगा जिससे लाभार्थी उपयुक्त विकल्प का चयन कर सके।

18.2 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण में IHHL के स्वनिर्माण उपरांत लाभार्थी भुगतान की प्रक्रिया:

(a) प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्तर का Open Defecation Elimination Plan (ODEP) तैयार किया जाएगा जिसमें ऐसे सभी Household को चिन्हित करते हुए विहित प्रपत्र (IHHL Form) में आवेदन प्राप्त किया जायेगा, जिन्हें-

i. IHHLकी सुलभता प्राप्त नहीं हो तथा जिनका नाम LSBA-द्वितीय चरण अंतर्गत वार्ड / ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये गये ODEP में पात्रता सूची में शामिल हो।

ii. जिन लाभार्थी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - प्रथम चरण में शौचालय का स्वनिर्माण किया गया परंतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

iii. निम्न परिवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपात्र होंगे-

- जिस लाभार्थी को शौचालय निर्माण/ आच्छादन हेतु पूर्ववर्ती किसी भी योजना यथा- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण, निर्मल भारत अभियान इत्यादि का लाभ मिला हो अथवा निर्माणोपरांत प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुआ हो।

- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजना जिसके माध्यम/अभिसरण से परिवार को शौचालय की सुलभता प्राप्त हो चुकी हो।

(b) वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड स्तर पर ODEP तैयार करने में निम्नलिखित कर्मियों की सहभागिता हो सकती है -

i. वार्ड सदस्य – एक

ii. संबंधित ग्राम का स्वच्छाग्रही- एक

iii. ग्राम संगठन (VO) द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह (Jeevika SHG) के प्रतिनिधि – एक / दो

iv. ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत SC/ST समुदाय का प्रतिनिधि- एक / दो

(c) वार्ड स्तर पर तैयार किए गए ODEP को संबंधित वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा एवं स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा सभी वार्डों के अनुमोदित ODEP को संकलित कर (आम सभा से पारित कर) BPMU को समर्पित किया जाएगा।

(d) प्रखंड स्तरीय दल द्वारा ग्राम पंचायतवार ODEP में अंकित पात्र परिवार / घर का कम से कम 10 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय दल के सदस्य निम्नवत होंगे -

i. प्रखण्ड समन्वयक या प्रखंड स्तरीय कर्मी जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

ii. संकुल स्तरीय संघ (CLF) द्वारा अनुशंसित संबंधित ग्राम संगठन (VO) के एक सदस्य।

iii. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न स्वच्छता पर्यवेक्षक।

iv. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक SC/ST कर्मी / पर्यवेक्षक।

(e) प्रखंड स्तरीय भौतिक सत्यापन के उपरान्त संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कम से कम 2 प्रतिशत Household (प्रत्येक प्रखंड का न्यूनतम पाँच ग्राम पंचायत) का सत्यापन 15 दिनों के अंदर करते हुए लाभार्थियों की पुनरीक्षित सूची तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसित किया जाएगा।

(f) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित सूची में वर्णित लाभार्थियों का आधार संख्या सहित Entry LSBA Portal पर प्रखंड स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा की जाएगी, जिससे Baseline तैयार हो जाएगा।

(g) इस Baseline सूची के विरुद्ध निर्मित IHHL लाभार्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का शौचालय के साथ फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न होगा।

(h) पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र की प्रखंड स्तर पर IMIS में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा Entry की जाएगी।

(i) IMIS में Entry के उपरान्त प्रखंड समन्वयक अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चिन्हित जियोटैगर द्वारा IHHL की जियोटैगिंग की जाएगी।

(j) जियो-टैगर को प्रति IHHL जियोटैगिंग के लिये 5.00 रुपये दिये जाएंगे।

(k) जियोटैग किए गए IHHL का जिला स्तर पर Approval किये जाने के उपरांत डाटा को LSBA पोर्टल पर Sync कर LSBA प्रथम चरण में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के डाटा से मिलान किया जाएगा। इस auto-sync प्रक्रिया में पात्र लाभार्थी का डाटा प्राप्त होगा।

(l) डाटा के मिलान (auto sync) के उपरांत पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा LSBA पोर्टल पर पूर्व की भांति की जाएगी।

(m) प्रोत्साहन राशि के भुगतान के उपरांत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा SBM(G) IMIS पर Financial update किया जाएगा।

नोट: - यदि वार्ड स्तर पर लक्षित Household की सूची (ODEP) तैयार करने के क्रम में IHHL की सुलभता में **25** प्रतिशत से अधिक का Gap (प्रथम चरण में सुलभ IHHL की संख्या के आलोक में) प्रतिवेदित किया जाता है, तो संबंधित प्रखण्ड/ जिला स्तरीय दल द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत का भ्रमण कर इसका सत्यापन किया जा सकेगा।

19.0 शौचालयों की मरम्मत (Retrofitting) : शौचालयों की मरम्मत एक ऐसा कार्य अथवा उपाय है, जिससे किसी शौचालय की कार्यशीलता और स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति सहित मल प्रबंधन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली तकनीकी त्रुटि / समस्या का निपटान किया जाता है यथा- खराब निर्मित गड्ढे, दोषयुक्त पाइप और चैंबर, Y- जंक्शन का न होना, कमजोर अथवा टूटा हुआ ऊपरी ढांचा, पिट का ढक्कन, गड्ढे के बीच अनुचित दूरी, गड्ढों की गहराई अथवा गलत तरीके से बने सेप्टिक टैंक। इन तकनीकी समस्याओं के सामान्यत: कम लागत और आसान उपायों को दूर करने हेतु "व्यक्तिगत शौचालय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग) मार्गदर्शिका" के माध्यम से समुदाय को उत्प्रेरित किया जायेगा।

20.0 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) / अन्य तकनीकी उपयुक्त संरचना का निर्माण : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव (Operation and Maintenance) हेतु निम्न निदेश का अनुपालन किया जाय –

I. सामुदायिक स्वचछता परिसर (CSC) / अन्य तकनीकी उपयुक्त संरचना का निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ऐसे स्थान का निर्धारण करेगी जो लक्षित समुदाय के लिये उपयुक्त तथा सुगम्य हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो और जहां लंबी अवधि तक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चत किया जा सके।

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिये, भूमिहीन, अनुसूचित जाति / जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब / प्रवासी मजदूरों /अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाय।

III. सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पुरुष एवं महिलाओं के लिय अलग-अलग सुविधा दी जायेगी और उनमें पर्याप्त संख्या में सीट, स्नानघर, कपड़े धोने का चबूतरा, हाथ धोने का बेसिन इत्यादि होंगे। CSC को दिव्यांगजनों के उपयोग के अनुकूल बनाया जाना चाहिये।

IV. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु स्थल का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा तथा निर्माण स्थल के चयन के संबंध में अनुमोदन प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित स्थल के भौतिक सत्यापन एवं सक्षम विभाग से भूमि संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) से प्राप्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

V. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के ले-आउट, निर्माण डिजाईन, प्राक्कलन एवं निर्माण की गुणवत्ता यथामानक सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा के तकनिकी पदाधिकारी / कर्मी से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

VI. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का संचालन एवं प्रबंधन (Operation & Maintenance) समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

VII. सामुदायिक स्वच्छता परिसर / अन्य तकनीकी उपयुक्त संरचना का निर्माण के लिए SBM (G) द्वितीय चरण के आलोक में Financial assistance की अधिकतम राशि तीन लाख रुपये है, जिसमें 70 प्रतिशत की राशि (2.10 लाख रुपया) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण एवं शेष 30 प्रतिशत (90 हजार रुपये) संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग अनुदान मद से व्यय किया जाएगा। CSC का बजट / प्राकलन तीन लाख रुपये से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि ग्राम पंचायत द्वारा अन्य मदों यथा 15वीं वित्त आयोग, 6वीं राज्य वित्त आयोग इत्यादि से व्यय किया जा सकता है।

VIII. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का उपयोग करने वाले लाभार्थियों को इसके निरंतर उपयोग एवं समुदाय आधारित रखरखाव के प्रति जागरूकता के लिए IEC /BCC / IPC गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

IX. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के रखरखाव हेतु स्व-राजस्व सृजन / व्यवसाय मॉडल पर बल प्रदान किया जायेगा यथा- समुदाय द्वारा भुगतान एवं उपयोग (Pay and Use), रखरखाव लागत शेयरिंग (Cost Sharing), राजस्व

सृजन मॉडल, SHG / VO / CLF या निजी संगठन द्वारा स्वत: संचालित व्यावसायिक मॉडल, CSR से सहयोग, PPP इत्यादि का विकास एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।

X. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के पश्चात इससे संबद्ध/आच्छादित परिवारों को हस्तांतरित किया जायेगा तथा CSC के नियमित उपयोग, साफ-सफाई एवं रखरखाव के प्रति उन्हें उत्प्रेरित किया जायेगा।

XI. सामुदायिक स्वच्छता परिसर की निर्माण गुणवत्ता, पानी, बिजली तथा अन्य सुविधाओं, नियमित साफ-सफाई एवं रखरखाव की व्यवस्था, इस हेतु संसाधन की उपलब्धता, राजस्व सृजन मॉडल इत्यादि, CSC पर स्वच्छता संदेशों का चित्रण, आच्छादित परिवारों द्वारा उपयोग की निरंतरता, स्वामित्व की भावना तथा व्यवहार परिवर्तन का स्तर इत्यादि के संबंध में LSBA-Insight मोबाइल एप द्वारा समय-समय पर डाटा संग्रह किया जायेगा एवं इस आधार पर कमियों को दूर किये जाएंगे।

XII. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण एवं उपयोगिता संबंधित भी सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) किया जाएगा।

XIII. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण एवं रख-रखाव (Standard Operating Procedure) हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के SPMU से निर्गत तकनीकी दिशा-निदेश का अनुपालन किया जाएगा।

21.0 निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation):

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - द्वितीय चरण अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में विभिन्न स्तर (यथा राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत) पर क्रियान्वयन की प्रगति, प्रतिफल एवं परिणामों की प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। इस हेतु independent assessment, periodic reviews, field visits इत्यादि किये जाएंगे।

21.1 राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर Monitoring framework बनाया जाएगा, जिससे निम्न बिन्दुओं का अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन किया जा सके:

I. व्यवहार परिवर्तन हेतु पर्याप्त IEC/BCC गतिविधियों का संचालन।

II. 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व, LSBA - द्वितीय चरण के सभी अवयवों के प्रति सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन तथा निगरानी समिति द्वारा सतत निगरानी किया जाना।

III. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, उपयोग एवं रखरखाव।

IV. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त ठोस कचरा प्रबंधन का क्रियान्वयन।

V. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त तरल कचरा प्रबंधन का क्रियान्वयन।

VI. गांवों में प्रत्यक्ष स्वच्छता।

21.2 वार्षिक कार्ययोजना (AIP) के सापेक्ष ओडीएफ-प्लस के अवयवों यथा - IHHL, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमतावर्धन, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन, व्यवहार परिवर्तन इत्यादि की प्रगति हेतु राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत स्तर पर सघन निगरानी एवं मूल्यांकन किया जायेगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, SLWM परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं की गुणवत्ता, उपयोग, रखरखाव इत्यादि की निगरानी तथा मूल्यांकन किये जाएंगे एवं सूचना मोबाइल एप/IMIS पर दर्ज किये जाएंगे।

21.3 उत्पाद - परिणाम निगरानी प्रणाली : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान**-** द्वितीय चरण के सभी अवयवों का विभिन्न स्तर पर उत्पाद- परिणाम निगरानी प्रणाली का उपयोग कर उत्पाद (Output) एवं परिणाम (Outcome) की निगरानी की जायेगी, यथा-

मापदंड	उत्पाद (Output)	परिणाम (Outcome)
'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व	निर्मित IHHL की संख्या निर्मित किये गये CSC की संख्या एवं आच्छादित परिवार	शौचालय सुविधा प्राप्त करने वाले और उसका नियमित उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति की पुष्टि करने वाले गांवों का प्रतिशत
गांवों में स्वच्छता में सुधार	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाले गांवों की संख्या धूसर जल प्रबंधन वाले गांवों की संख्या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों वाले प्रखंडों की संख्या मलीय कचरा प्रबंधन व्यवस्था वाले जिलों की संख्या	न्यूनतम मात्रा में कचरे वाले गांवों का प्रतिशत अपशिष्ट जल के न्यूनतम ठहराव वाले गांवों का प्रतिशत
आउटपुट और आउटकम संकेतकों को कार्यक्रम की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।		

21.4 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - द्वितीय चरण अंतर्गत online Integrated Management Information System (IMIS) एवं मोबाइल App आधारित IMIS पर सूचनाएं अपडेट की जायेगी।

I. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन को निर्धारित वेबसाइट (sbm.gov.in/slwm odf + IMIS) तथा मोबाइल एप पर अद्यतन किया जाना है। मोबाईल एप के माध्यम से अनुश्रवण हेतु APP तैयार किया जाएगा, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

II. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक/ DRP/SRP एवं जिला स्तर पर जिला-सलाहकार-MLE&MIS (जहाँ जिला-सलाहकार- MLE&MIS नहीं हों, वहाँ जिला सलाहकर - SLWM) के द्वारा IMIS पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की प्रगति को अद्यतन किया जायेगा तथा निम्नवत कार्य संपादित किये जायेंगे -

(क) ठोस एवं तरल अपशिष्ट से संबंधित आवश्यकतानुसार One Time डाटा को इन्ट्री किया जाना।

(ख) प्रखण्ड के IMIS/Entry/Module को Approval प्रदान किया जाना।

(ग) दैनिक प्रगति का इन्ट्री किया जाना।

(घ) परिसम्पत्तियों का जिओ-टैंगिग।

(ङ) पेमेन्ट/प्रोक्योरमेंट संबंधी सूचना।

(च) भुगतान संबंधी सूचना।

III. राज्य / जिला / प्रखण्ड / ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों / गतिविधियों के सतत् अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु IT आधारित निदानों को बढ़ावा दिया जाएगा।

21.5 परिसंपत्तियों की Geotagging : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण अंतर्गत निर्मित सभी परिसंपत्तियों यथा- IHHL, सामुदायिक स्वच्छता परिसर/ कलस्टर शौचालय/ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्मित सभी परिसम्पति (Assets), मरम्मत किये गये (Retrofitted) व्यक्तिगत शौचालय / CSC का मोबाइल एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से जियो-टैगिंग की जाएगी एवं तदोपरांत IMIS पर डाटा Sync किया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्रमश: BPMU द्वारा **10** प्रतिशत, DWSC द्वारा **2.5** प्रतिशत एवं SPMU द्वारा **0.5** प्रतिशत जियो टैग किये गये परिसंपत्ति (assets) का random सत्यापन किया जाएगा तथा BPMU एवं DWSC द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन एवं इसके अलोक में की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन SPMU को प्रेषित किया जाएगा।

21.6 सोशल ऑडिट: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा किये गए कार्यों, परिसंपत्ति विषयक गुणवत्ता, व्यवहार परिवर्तन एवं जनजागरूकता के आकलन हेतु LSBA - SPMU द्वारा नामित एजेंसी/ सोशल ऑडिट सोसायीट, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों का Social Audit किया जाएगा।

21.7 क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं प्रभाव का अध्ययन : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं समुदाय पर प्रभाव के अध्ययन हेतु SPMU द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र एजेंसी / DMI WASH observatory, UNICEF द्वारा सर्वेक्षण / अध्ययन / Evaluation इत्यादि कराया जाएगा।

22.0 ODF- Plus की घोषणा हेतु मानदंड एवं प्रक्रिया: ग्राम / ग्राम पंचायत के ODF-Plus घोषित किये जाने के अवयव निम्नवत हैं:

I. खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व
II. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
III. तरल अपशिष्ट प्रबंधन
IV. प्रत्यक्ष स्वच्छता
V. ओडीएफ-प्लस IEC संदेश संप्रेषण

22.1 ग्राम / ग्राम पंचायत के ODF-Plus **घोषित होने के मानदंड एवं प्रक्रिया:**

ग्राम / ग्राम पंचायत के ODF-Plus घोषित होने के मानदंड एवं प्रक्रिया निम्नवत हैं-

क्रम	श्रेणी / वर्ग	ODF प्लस के विभिन्न चरण का मापदण्ड
1	ODF प्लस – उदयमान (Aspiring)	1) गाँव के सभी घरों में कार्यरत शौचालय की सुलभता। 2) गाँव के सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग कार्यरत शौचालय की सुलभता। 3) गाँव में ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
2	ODF प्लस वर्द्धमान (Rising)	1) गाँव के सभी घरों में कार्यरत शौचालय की सुलभता। 2) गाँव के सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग कार्यरत शौचालय की सुलभता। 3) गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था। 4) गाँव में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
3	ODF प्लस उत्कृष्ट (Model)	1) गाँव के सभी घरों में कार्यरत शौचालय की सुलभता। 2) गाँव के सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग कार्यरत शौचालय की सुलभता। 3) गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था। 4) गाँव में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था। 5) गाँव में ODF प्लस IEC मैसेज का दिवार चित्रण / दिवार लेखन/होर्डिंग इत्यादि द्वारा प्रमुखता से प्रदर्शन।

उपरोक्त संबंध में गांव, ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला के ODF Plus घोषणा (Declaration) तथा सत्यापन (Verification) हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायगा।

23.0 पुरस्कार एवं प्रोत्साहन : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान एवं विशिष्ट पहल करने वाले समुदाय/ स्वच्छाग्रही/ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मी/ पदाधिकारी/ सहयोगी विभाग/संस्थान के अधिकारी/प्रतिनिधि, स्वच्छता चैम्पियन इत्यादि एवं अनुकरनीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ग्राम पंचायत, BPMU, DWSC को समय-समय पर पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। नवोन्मेष (Innovation) तथा सराहनीय पहल (Initiative) करने वालों की भी सराहना एवं पहचान (Recognition) हेतु सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमण्डल / जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जा सकेंगा तथा इस संबंध में अलग से निदेश निर्गत किये जायेगे। पुरस्कार एवं प्रोत्साहन के क्षेत्र निम्नवत हो सकते हैं :

I. घरेलू / सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट का उचित पृथक्करण एवं निष्पादन
II. सड़नशील (बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण
III. घर से निकलने वाले धूसर जल का सोक पिट/ मैजिक पिट / WSP/ किचन गार्डन इत्यादि से निष्पादन
IV. मलिन जल प्रबंधन, गंगा एवं अन्य नदियों तथा जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाव, MHM
V. बाढ़ग्रस्त / विषम भौगोलिक वाले क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी अनुकरणीय कार्य
VI. ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के प्रति संचार-संप्रेषण एवं जनजागरूकता हेतु नवोन्मेषी पहल/ अभियान
VII. ग्राम पंचायत को समयबद्ध ODF-Plus बनाना एवं इसका नियमानुसार declaration, इत्यादि।

24.0 कारपोरेट-समुदाय जिम्मेदारी:

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत द्वितीय चरण अंतर्गत कॉरपोरेट-समुदाय जिम्मेदारी (CSR) के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा यथा-

I. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना यथा- सोख्ता पिट, नाडेप पिट, कंपोस्ट पिट, स्टेबलेशन पॉड, Waste Segregation के प्रदर्शन हेतु ग्रामीण स्वच्छता पार्क का निर्माण इत्यादि।
II. स्वच्छता मेला या प्रदर्शनी का आयोजन।
III. स्कूलों परिसर की स्वच्छता तथा बच्चों के व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु संसाधन, अधोसंरचना एवं पाठ्य / क्रीड़ा सामग्री का वितरण।
IV. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण
V. स्वच्छता सुविधाओं / CSC / SLWM संपदा (asset) के रखरखाव हेतु सहयोग।
VI. दीवार लेखन एवं चित्रण, प्रिंट सामग्री, लोक एवं जनमाध्यम, सोशल माध्यम इत्यादि से जनजागरूकता अभियान के संचालन में सहयोग।
VII. उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन द्वारा अन्य कार्य।

25.0 लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्तिवीय चरण में सहयोगी संस्थाएं (Development Partners) की भूमिका:

I. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इच्छुक अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठनों से आपसी सहमति के आधार पर SPMU एवं DWSC द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं रणनीति सहयोग लिया जा सकेगा।
II. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग को इच्छुक संस्थाओं से राज्य स्तर पर Memorandum of Understanding (MoU) के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति से एकरारनामा किया जायेगा।

26.0 वार्षिक लेखापरीक्षा:

I. भारत सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा समय-समय पर तय की गयी सभी लेखापरीक्षा अपेक्षाओं का पालन किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भारत सरकार एवं बिहार सरकार के वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

II. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU), जिला जल स्वच्छता समिति (DWSC) एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) / ग्राम पंचायतों द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सभी स्तर (राज्य, जिला, प्रखंड ग्राम पंचायत एवं वार्ड) पर का लेखा संधारित किया जाएगा।

III. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सभी व्यय की प्रमाणिकता के लिए आवश्यक दस्तावेज, बिल-वाउचर के साथ सुरक्षित रखा जाएगा तथा लेखा का संधारण किया जाएगा।

IV. वैधानिक कर की कटौती नियमानुसार की जाएगी एवं उसे संबंधित विभाग को ससमय भुगतान किया जाएगा।

V. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सभी व्यय का आंतरिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

VI. जिला जल एवं स्वच्छता समिति / प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई/ ग्राम पंचायत द्वारा Fixed Asset Register तैयार किया जाएगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सत्यापति किया जाएगा।

VII. क्रय (Procurement) एवं सेवाप्रदाताओं को भुगतान (Payment) में बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चत किया जाएगा।

27.0 शिकायत निवारण (Grievance Redressal) प्रणाली : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर शिकायत के निवारण हेतु प्रणाली विकासित की जाएगी एवं संबंधित शिकायतों का ससमय निवारण किया जायेगा इस प्रणाली में आमजन भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं यथा यथा- शौचालय के स्वनिर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान, CSC का संचालन तथा रख-रखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याएं यथा- कचरा उठाव तथा निष्पादन इत्यादि दर्ज कर ससमय निवारण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु वेबसाईट एवं मोबाईल ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषण एवं निवारण तथा इससे संबंधित डैशबोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

अनुलग्नक :-

A- कार्य योजना निर्माण हेतु प्रपत्र
B- स्वच्छता पर्यवेक्षक संबंधित सलाह
C- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित संक्षिप्त तकनीकी सूचना
D- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत की जाने वाले गतिविधियों की संक्षिप्त प्रक्रिया एवं विवरणी
E- LSY अंतर्गत नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना निर्माण संबंधित सलाह
F- संकल्प- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की स्वीकृति।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा० वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - सभी जिला समन्वयक-सह-जिला संयोजक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सभी निदेशक-लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा० वि०-15(स्वच्छता)-3/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा० वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा० वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा०वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव - शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं कृषि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा०वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं विकास आयुक्त बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा०वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: ग्रा०वि०-15(स्वच्छता)-03/2020-36/सी० दिनांक: 20.12.2021

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक: 'A'

Lohiya Swachh Bihar Abhiyan
Rural Development Department, Govt. of Bihar

Write a general detail about the Grampanchayat as given below:

Name of District		
Name of the Village/ Gram Panchayat		
Number of Villages and Name		
No of Wards		
Population		
	2011	Current
• Total Population		
• Current Population		
• General		
• OBC		
• SC		
• ST		
Major Occupation	1. 2. 3.	
Other information – current		
MGNREGA Job Cards (number)	________(attach list)	
No of Schools and name		
No of Aanganwadi and name		
No of Panchayat Building (with name of each)		
Health Centre		
Hat Bazar		
No of Cattle(Cow and Buffalos)	______(attach household wise list)	
No of Goat and Pigs	______(attach household wise list)	
No of Market Place		
HH with toilet		
Households with Septic Tank toilets		

Households with single pit toilets		
Households with Twin pit toilets		
HH not Having toilet (primary data source)		
Available land for processing and other SLWM activities	Yes ☐ No ☐	Describe:
Social background		
Cultural background		
Any other important information		

Location map:

A. Technical Description and Present status of the project

a) Present status of solid & liquid waste management should base carried out as per the annexure. It is expected to have description status of the households, area/ward and village.

b) It is expected to furnish the information in details as per the Schedules

c) Whenever requires and possible, map may be provided and it should be attached with the plan as annexure

d) It is necessary to attach an annexure of facts and figures related to household, village-passages, wards, market place, and shop establishments.

e) Describe the details of successful and failure examples related to solid, liquid and septage management in the Gram Panchayat

i. Present Status: Solid Waste

(At households, area, village, market place, shops & institutions)

i. Biodegradable/ wet waste

ii. Non-biodegradable /dry waste

iii. All other type of solid waste

1.1 Solid waste - current status

Sr. No.	Waste type	Quantity generated Gram or Kg (specify)			Remarks
		Per day	Per Month	Per year	
1.	Kitchen waste-biodegradable (fed to cattle)				
2.	Kitchen waste-biodegradable (Not fed to cattle)				
3.	Ash from kitchen				
4.	Plastic waste – all types				
5.	Paper				
6.	Card board				
7.	Electronic waste				

Sr. No.	Waste type	Quantity generated Gram or Kg (specify)			Remarks
		Per day	Per Month	Per year	
8.	Battery waste				
9.	Other (specify)				
10.	Other (specify)				
11.	Other (specify)				
12.	Other (specify)				
13.	Other (specify)				
14.	Domestic hazardous waste (including biomedical waste)				
15.	Sanitary waste (sanitary napkins, diapers, condom etc)				
16.	Slaughter house waste				
17.	Waste from markets and shops • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
18.	Waste from hotels and restaurants • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
19.	Road Sweeping waste				

Sr. No.	Waste type	Quantity generated Gram or Kg (specify)			Remarks
		Per day	Per Month	Per year	
20.	Drain cleaning waste				
21.	Construction and demolition waste				
22.	Garden and Horticulture waste				
23.	Waste from Temples • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
24.	Institutional waste (school) • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
25.	Institutional waste (PRIs) • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
26.	Institutional waste (Other institutions)				

Sr. No.	Waste type	Quantity generated Gram or Kg (specify)			Remarks
		Per day	Per Month	Per year	
	• Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
27.	Institutional waste (Other institutions)				
28.	Cattle dung				
29.	Agriculture (Residue) waste • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				
30.	Waste from small Industrial units • Biodegradable Waste • Non-Biodegradable Waste(only Recyclables) • Non-Recyclables/ Rejects				

31. Any existing system for solid waste management

अनुलग्नक 'A'

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

LOHIYA SWACHH BIHAR ABHIYAN

Solid and Liquid Waste Management Proposal - Input Sheet

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

Date of submission					
District		Block Name		Garam Panchayat Name	
Total Number of villages		Total number of Wards			
Name of Mukhiya		Contact No.		Name of Panchayat Sachiv	

ODF Status				Land Identification for construction for WPU cum Plastic storage facilities [Yes/No]	
1	Whether Panchayat is declared ODF			Temporary Waste disposal site (Name of village/Habitation)	
2	Date of ODF			Name of village where proposed MRF/ Waste Processing Unit (WPU) Centre would be constructed	
3	ODF Verification			No of community bins (2 bin per pair) setup in GP	
4	ODF 2nd verification (Month/Year)			No. of Swachhata karmi including E-Riksha Driver at GP level (except swachata karmi at ward)	

Demographic Details- Population/Amenities

Sr. No.	Ward Number	Village name	Male population	Female population	Total Population	Total HH	No of Cattles	No. of Market area (HAAT/Bazar)	No. of Shops/Hotel/ Dhabba/ marriage hall/ Community hall	Panchayat office	Health Sub Centre	Bank	Post office	Religious Place (Mandir / Masjid/ gurudwara/ Girijaghar)	Other Buildings (like factory/small scale industry etc.)	School/ Aganwadi/ Collage
1	Ward 1				0											
2	Ward 2				0											
3	Ward 3				0											
4	Ward 4				0											
5	Ward 5				0											
6	Ward 6				0											
7	Ward 7				0											
8	Ward 8				0											
9	Ward 9				0											
10	Ward 10				0											
11	Ward 11				0											
12	Ward 12				0											
13	Ward 13				0											
14	Ward 14				0											
15	Ward 15				0											
16	Ward 16				0											
17	Ward 17				0											
18	Ward 18				0											
19	Ward 19				0											
20	Ward 20				0											
21	Ward 21				0											
22	Ward 22				0											
	Total in GP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Present status of Solid Waste Management						Details of Existing Facilities in SWM					
Sr. No.	Ward Number	Village name	Waste collection at source	Waste segregation at source	Door to Door waste collection	Treatment of Bio-waste	Sale of segregated Recyclable waste	Disposal of waste (Refuse)	Dustbins available (two colors) for segregation of waste in No. of HHs	Dustbins at shops and hotels	No. Pedal Rickshaw with compartmented trolley	No. Motorized/ electric Tipper with compartmented trolley (at GP level)	No of Community Bin (Pair) with stand available in GP	No of Swachhagrahi working
1	Ward 1													
2	Ward 2													
3	Ward 3													
4	Ward 4													
5	Ward 5													
6	Ward 6													
7	Ward 7													
8	Ward 8													
9	Ward 9													
10	Ward 10													
11	Ward 11													
12	Ward 12													
13	Ward 13													
14	Ward 14													
15	Ward 15													
16	Ward 16													
17	Ward 17													
18	Ward 18													
19	Ward 19													
20	Ward 20													
21	Ward 21													

22	Ward 22													
	Total								0		0	0	0	0

Proposed SLWM activities

1	Sources of O&M Fund		Select "Yes" if done, select "No" if not done.
2	User charge decided (for D to D waste collection)		Select "Yes" if done, select "No" if not done, select "In Progress" if it is yet to finalize
3	User charge AMOUNT (for D to D waste collection)		User charge is the amount per month every family has to contribute for the services of door to door waste collection. It is decided by the Panchayat/Committee
4	User charge AMOUNT (for institutions- schools, Post office, Banks and anganwadi PRI,religious place etc.)		User charge is the amount every institution has to contribute per month for the services of door to door waste collection.
5	Other Source of Income of Panchayat		User charges from Bazar/Haat/Marriage functions, Sale of Community Compost, Recyclable waste, Plastic waste, Cleanlines charge for Community Occassion etc (annual)
6	Liaison with scrap dealers/ Kabadiwala/ Recyclers		Yes/NO

Present status of LWM

Sr. No.	Village name	Nali Gali yojana : (i) Select "Yes" if completed. (ii) Select "NO" if it is not started. (iv) Select "In Progress" if started.	If Nali gali yojna completed then provide the length of Nali (In feet)	Total Households connected to Nali gali Yojana in the village	Total number of Households NOT connected to Nali Gali Yojana in the village	No of Nali Outlets in village (For construction of Junction chamber)	No of Junction chamber for joint of Nali required in village	Technology required for treatment of Gray water (Select from options given)	No of Community soak pit to be constructed
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
Total			0	0	0	0	0		0

Enclosures:	Status
Copy of Map 1	
Copy of Route Map for waste collection in ward/ village and to WPU	
Copy of WIMC members details and contact no.	
List of Village/ ward wise Swachhata Mitra details and contact details	
Approval of Action Plan in Gram Sabha	
Copy of NoC Panchayat land available for MRF/ WPU	
Source of Fund for Procurement of Dustbins	
Sources of O&M Fund (details)	
Resolution for User Fee (Household/ Institution /Market)	
List of available equipment	
Copy of Liaison with scrap dealer/ Kaadiwala	
Copy of Passbook of SLWM Bank Account	

स्वच्छता पर्यवेक्षक संबंधित सलाह

ग्राम पंचायत एवं समुदाय आधारित संगठन के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम स्तर पर कार्य को देख-रेख एवं समर्थन हेतु मानव संसाधन- स्वच्छता पर्यवेक्षक।

1. स्वच्छता पर्यवेक्षक की रूपरेखा (प्रोफ़ाइल)

1.1 स्वच्छता पर्यवेक्षक अहर्त्ता (Eligibility)

शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिकुलेशन (10 वीं उत्तीर्ण) या समकक्ष। कार्य किये जाने वाले ग्राम पंचायत के निवासी हो, महिला एवं स्वच्छाग्रहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छता संवर्धन और व्यवहार परिवर्तन पर समुदाय के साथ काम करने का कम से कम 12 महीने का अनुभव और ज्ञान हो। स्वच्छता मुद्दों पर काम करने का अनुभव एवं समुदाय को प्रेरित करने की क्षमता एवं अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। समुदाय में सेवा एवं कार्य करने की ईच्छुक हो।

2. कार्य परिणाम (अपेक्षित डिलिवरेबल्स):

स्वच्छता पर्यवेक्षक को परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, क्षेत्र की यात्रा, बैठकों में भाग लेने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वे गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर SLWM की पूरी प्रक्रिया की देखरेख और समर्थन प्रदान करेंगे। उनके कार्य परिणाम (डिलिवरेबल्स) में निम्न बिन्दु शामिल हैं:

2.1। कार्य योजना तैयार करने के लिए आधारभूत डेटा सहित जानकारी का संग्रह और समेकन।

2.2। ग्राम पंचायत जहां SLWM कार्य किया जाना है वहां पूर्व और बाद की गतिविधियों को संचालित करना।

2.3। SLWM या संबंधित गतिविधियों के निष्पादन के लिए वार्ड वार मैपिंग।

2.4। कार्यबल की उपस्थिति का रखरखाव और संबंधित ग्राम पंचायत / समुदाय आधारित संगठन को रिपोर्ट करना।

2.5। घर-घर से कूड़ा उठाने वालों के साथ नियोजित मार्ग पर संग्रह और परिवहन को सुचारू करना।

2.6। नियमित वार्ड स्तरीय सामुदायिक बैठकें आयोजित करना।

2.7। कार्य योजना के अनुसार कार्यों की दैनिक निगरानी।

2.8। कचरे का वजन और रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करना।

2.9। जीरो कचरा प्रोत्साहन और अक्रिय कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

2.10। ODF-S एवं ODF+ में ग्राम पंचायत को सहयोग करना।

2.11। ग्राम पंचायत /DWSC/BPMU आदि द्वारा परियोजना SLWM/ODF + अन्तर्गत आवश्यकताओं के अनुसार कोई निदेशित अन्य कार्य।

3. पात्रता मानदंड

अनिवार्यता:

3.1 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक के पास मैट्रिकुलेशन (10 वीं उत्तीर्ण) या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

3.2 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक 20- 45 वर्ष की आयु सीमा में होना चाहिए।

3.3 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक द्वारा पूर्व में कोई प्रतिष्ठित संगठन / संस्थानों से SLWM पर न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।

3.4 स्वच्छता पर्यवेक्षक कोई सार्वजनिक पदधारक नहीं होना चाहिए या निर्वाचित जन प्रतिनिधि (मुखिया / पंच / वार्ड सदस्य / अन्य) एवं ग्राम पंचायत एवं प्रतिनिधियों के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होंगे।

3.5 समुदाय के साथ काम करने का कम से कम 12 महीने का अनुभव और ज्ञान हो।

4. अधिमान (<u>Preference</u>):

4.1 विशेष रूप से जीविका के सीबीओ से महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।

4.2 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक के पास समुदाय को सेवाएं प्रदान करने और नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार यात्रा करने के लिए अपने परिवार से स्वीकृति होनी चाहिए।

4.3 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक को आवश्यकता के अनुसार यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

4.4 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक के पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल (स्मार्ट फोन) होना जरूरी है।

4.5 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक उसी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए

4.6 स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक अनुबंधित / दैनिक आधार पर आपसी समझौते के आधार पर समुदाय आधारित संगठन / ग्राम पंचायत के साथ काम करने के लिए सहमत होना चाहिए।

5. **मानदेय।**

स्वच्छता पर्यवेक्षक आवदेक को नीचे दी गई तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार पारिश्रमिक और प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

मानदेय मैट्रिक्स

SL	विवरण	INR / माह में मानदेय राशि	टिप्पणी
1.	प्रारंभिक 3 महीने की अवधि के दौरान	Rs.5000.00	प्रारंभिक अवधि 03 महीनों के लिए।
2.	समुदाय आधारित संगठन /ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभिक अवधि और सम्पुष्टि की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद	Rs. 6000.00	स्वीकृत कार्य लॉग के आधार पर CBO / GP द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रारंभिक अवधि के सफलतापूर्वक समापन के बाद।
	कार्य आधारित अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन राशि		
	सामुदायिक गतिशीलता (सामुदायिक / वार्ड / ग्राम सभा का आयोजन)	Rs.500.00 (upper limit Rs 500.00)	10 बैठक तक - 100.00 रु 10 -15 तक की बैठकें – रु० 150.00 केवल 15-20 तक की बैठकें – रु० 250.00 केवल यदि एक महीने में 10 से कम बैठकें होती हैं तो पर्यवेक्षक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। मासिक कार्य लॉग के साथ आयोजित बैठकों के विधिवत चिंतन पद्धति की आवश्यकता है।
	ओडीएफ स्थिरता	Rs.250.00	पर्यवेक्षक को चिन्हित ग्राम पंचायत में शत् प्रतिशत शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए
	शून्य अपशिष्ट (ग्राम पंचायत साफ सुथरा दिखना चाहिए)	Rs.250.00	पर्यवेक्षक को स्रोत (HH / संस्थान) में अलगाव सुनिश्चित करना चाहिए

4.	उपयोगकर्ता (User Charge) शुल्क संग्रह	Rs.500.00	सभी घरों से 50% उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह सुनिश्चित करें और उनके रिकॉर्ड बनाए रखें।

5.1। प्रस्तुत प्रारूप में उपस्थिति समय-सूची (Time sheet) और मासिक प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित समुदाय आधारित संगठन / ग्राम पंचायत/ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

5.2। समय-सूची (Time sheet) और मासिक प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर, मासिक भुगतान किया जाएगा।

5.4। स्थानीय यात्रा राशि मानदेय राशि में शामिल है।

Most Common technology options for SLWM.

a) Liquid waste management

Technology / Management Practice	
Household level	**Community level**
Leach pit	Community Leach pit
Modified leach pit	DEWATS with small bore / SS sewer
Tower garden	WSP with small bore / SS sewer
Key hole garden	Reed bed / constructed wet land
Kitchen garden	

3.2.1 Summary of technological options for Liquid Resource Management

S.no	Technology	Description	Advantages	Recommendations
1	Soak pits/ Leach pits	It is a covered, porous-walled chamber that allows water to slowly soak into the ground. A soak pit does not provide adequate treatment for raw wastewater and the pit will quickly clog. It should be used for discharging pre-settled black water or grey water	• Easy to construct • Simple technique • Low cost • Low maintenance	• Rural settlements • Soil with a sufficient absorptive capacity • Not appropriate for areas prone to flooding and low groundwater depth
2	Stabilization ponds	Also called lagoons or waste stabilization ponds use a natural process for wastewater treatment that employs a combination of macrophysics plants, substrates and microorganisms in a more or less artificial pond to treat wastewater. Stabilization ponds are particularly well suited for tropical and subtropical climates because the intensity of the sunlight and temperature are key factors for the efficiency of the removal processes. It has three stages of treatment (3 ponds) and hence is appropriate only in Gram Panchayats where land is available in plenty	• High efficient traditional technique • Aesthetic • Low maintenance (biological treatment)	• Requires larger area • Periodic maintenance • Only in areas where reuse is a priority
3	Filter beds and pre-filter chamber process with drainage system	This uses filtration as a concept. This can be complemented only with proper drainage system and a pre-filter chamber which acts like a temporary storage is also required to regulate the speed of flow of water. This is appropriate in areas where the volume of waste water is high and proper drainage system is possible. Also, this can be in place for those areas where the treated	• cost effective and easy to construct • low maintenance cost for chambers can be done as a decentralized unit as well	• Areas where the volume of waste water is high • Proper drainage system is possible • Proper maintenance of drainage channel is key

		water can be used for agricultural process or for groundwater recharging	as space required in also minimum	
4	Community plantations and Kitchen Gardens (With or without piped root zone system	A kitchen garden uses gray water to grow vegetables, flowers or fruit in the courtyard of the house. This involves a simple surface irrigation system that requires low maintenance. It must be ensured that the grey piped root zone water is treated before being let out into the kitchen garden which is achieved by passing water through a System) very simple device such as a silt and grease trap. A kitchen garden with a piped root zone system is an improved version of the basic kitchen garden. This involves underground irrigation using perforated polyvinyl chloride (PVC) pipes; water is treated in the filter bed material surrounding the pipe, from where it directly reaches the roots of the plants.	• Cost effective • Simple technology • Low maintenance cost	• For rural settlements and can be used on the sides of open drains

b) Solid Waste Management

Technology for HH (H) Community (C)	Factors	Capacity	Area	Turnaround Time (months) & Quality	Skill	Capex (in INR)	O&M
Pile Composting (H)	**Composting in systematic pile over ground. Alternate layers of organic matter, dung slurry and soil, to avert flies and mosquitoes.**						
	Temp: Moderate Warm temp. Rainfall: Sensitive to heavy rains	25 – 500 Kgs	High	6-8 Compost quality best for internal use	Low	Low (manual labour of 1 manday for area preparation	Low
Pit Composting/Manure Pit (H)	**Two pits are constructed at HH level to decompose organic waste with manure as inoculum, speeding up composting process. Compost quality best for internal use**						
	Temp: Can handle extreme temperatures	25 – 500 Kgs	Low (2 Pits of 1m x 1m) for a HH of 6	5-6 Compost quality best for internal use	Low	Low (manual labour of 2-3 mandays)	Low (manual labour of 1/2 mandays) for

	Rainfall: Can handle with little modification of a shed over pits						emptying
NADEP Composting (C)	**Composting in a brick tank with aeration holes and thatched roof for managing moisture. Compost is nutrient rich as it is retained in the tank. Tank should be filled at a single time for best results (~1500 – 2000 Kgs of waste and 90 – 100 Kgs of dung). Good Quality Compost –Marketable**						
	Temp: Can handle extreme temperatures and rainfall	1500-2000 Kgs	Moderate (10 ft x 6ft x 3ft)	3-4 Good quality marketable compost	Moderate	18-25 K	Moderate -
Vermi Compost (C)	Temp and Moisture content is required to be managed diligently	10-100 KG	5-7 pits of size 1m x 2m x .3 m	4-5 Good quality marketable compost	Moderate	Vermi Tank/Platform with shade 150K-157K	Higher and Specialized O&M

Household Level Micro Composting units (suitable for a family of 4)	**Temp and Moisture content is managed& does not require major care**	**0.25-2.5 kg/day**	**Less**	**2-3**	**Low**	**10-25 K**	**Low**
Small HH Level Bio-Gas Plant (H)	Temp; and Moisture is managed, plant require adequate sunlight	25-1000 Ltr capacity	Small	2-5 days, but continuous after first batch	Moderate	12000-50000 per unit	Low
Floating Dome type Bio-Gas Plant (H) / (C)	Temp; and Moisture is managed, plant require adequate sunlight	500-1500 Kg	Moderate	2-5 days, but continuous after first batch	Moderate	20-50 K (includes 13-15K for the floating dome)	Moderate-requires maintenance of the dome.

3.1.1 Summary of technological options for Solid Resource Management

S No	Technology	Volume of input waste	Waste Characteristics for processing	Segregation requirement	Capital investment	Maintenance cost	Recommendations
1	Dung based or compost media based Composting	5kgs to 1000kgs	Organic waste – Food waste	Extremely crucial – degradable waste only composted	Very less – Can also be done in open space or dustbin	Very minimal maintenance cost.	Suited for GPs with less than 500kgs output of garbage per day.
2	Vermi-composting	20kgs to 1000kgs (to have a good quality manure)	Completely organic waste with no other waste mixed	Near perfect segregation will be required as worms are going to do the process	Cost of construction of multiple compost tanks or bins is involved.	No major cost for maintenance, however to maintain moisture content in the bed and timely turning of pile are necessary.	Recommended only when man power with commitment to segregation of waste is available. Also, regular monitoring is required to ensure that the pile is properly composted.
3	Bio Gas generator	Minimum 1 ton for substantial output	Completely organic waste with no other waste mixed. Adding cow dung speeds up the process.	Perfect segregation of organic waste is required	Basic model to process 500kg will cost around Rs. 75000/-. Models up to Rs. 30 lakh are available	Low manpower cost but maintenance of the system is a necessity.	Recommended when the organic waste volume is higher than 500kgs. Mostly for individual household usage with decentralized systems
4	Electricity generation	Minimum 1 ton (for both organic and mixed waste technology	Organic waste or mixed waste (based on the technology adopted)	Depends on the technology adopted	Minimum Rs. 15 lakh for a most basic organic waste technology generator.	High level of efficiency of systems but O&M cost is extremely high.	Recommended only when capital investment cost is available and option for centralized system to be explored.

अनुलग्नक:D

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत की जाने वाले गतिविधियों की प्रक्रिया एवं संक्षिप्त विवरणी

(क) प्रक्रिया :

I. ग्राम पंचायत अंतर्गत घर, बाजार, हाट एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न ठोस एवं तरल अपशिष्ट का आकलन तथा इस आधार पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्ययोजना बनाना।

II. वार्ड एवं पंचायत स्तर पर वृहत जन जागरूकता अभियान चलाकर समुदाय को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाना।

III. समुदाय को स्रोत पर अपशिष्ट का सूखे (अजैविक) एवं गीले (जैविक) भाग में अलग-अलग (Segregation) करने एवं घर से निकलने वाले अधिकतम अपशिष्ट को घरेलू स्तर पर निपटान हेतु उत्प्रेरित किया जाना

IV. स्रोत यथा - घर, बाजार, हाट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि से ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग (Segregation) करने हेतु दो कूड़ेदान (जैविक अपशिष्ट हेतु हरा रंग एवं अजैविक अपशिष्ट हेतु नीला रंग का कूड़ेदान) का उपयोग किया जाना है।

V. घरेलू स्तर पर निपटान के उपरांत बचे हुए ठोस अपशिष्ट (सूखा एवं गीला) को वार्ड स्तर पर हाथ रिक्शा द्वारा घर-घर से संग्रह (door to door collection) किया जायेगा तथा निर्धारित स्थान पर लाया जायेगा।

VI. ग्राम (वार्ड) के निर्धारित स्थानों से ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किये गये दिन ई - रिक्शा / मोटरयुक्त वाहन द्वारा ठोस अपशिष्ट को ग्राम पंचायत स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) में लाया जायेगा, वहां गीला (Bio-degradable) एवं सूखा अपशिष्ट (Non bio-degradable) को उपयोगिता के अनुसार पुन: पृथ्थकरण (Segregation) किया जायेगा एवं पुनर्उपयोग होने वाले सूखे अपशिष्ट (प्लास्टिक) को रिसाईकलिंग हेतु प्रखण्ड स्तर पर स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में स्थानान्तरित किया जायेगा।

VII. घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण हेतु हाथ ठेला/ ट्राईसाईकिल एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई तक परिवहन हेतु ई-रिक्शा / मोटर चलित वाहन में सूखा एवं गीला कचरा हेतु अलग-अलग खंड (Chamber) या डस्टबीन होना अनिवार्य है एवं ठेला रिक्शा / ट्राई साईकिल पर प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र संलग्न किया जाएगा।

VIII. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर - घर कचरा उठाव / संग्रहण / पृथ्थकरण एवं प्रसंस्करण हेतु प्रति वार्ड एक स्वच्छता कर्मी को रखा जायेगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता कर्मी का चयन किया जायेगा, इसके लिये महिला / जीविका स्वयं सहायता समूह के इच्छुक सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

IX. घर - घर से कचरा संग्रह करने तथा हाथ रिक्शा / ठेला से परिवहन के लिये आवश्यकतानुसार दो - तीन वार्ड पर एक रिक्शा / ठेला चालक रखा जा सकता है।

X. ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण हेतु प्रति ग्राम पंचायत एक स्वच्छता पर्यवेक्षक रखा जा सकता है।

XI. ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रबंधन हेतु प्रति घर उपयोगिता शुल्क (User Charge) लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत अंतर्गत बाजार, हाट, दुकान, मार्केट, व्यवसायिक

कांप्लेक्स, व्यवसायिक गतिविधि करने वाले संस्थानों आदि से ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतम 200 रुपये प्रति प्रतिष्ठान प्रति माह लिया जा सकता है। शुल्क की दर का निर्धारण में ग्राम पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सुझाव पर ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर आधिकतम 60 रुपये प्रति घर प्रति माह उपयोगिता शुल्क लिया जा सकता है।

XII. बड़े आयोजन जैसे शादी – विवाह, घरेलू उत्सव में साफ-सफाई इत्यादि के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उचित उपयोगिता शुल्क तय की जा सकती है।

(ख) संक्षिप्त विवरणी

क्र. सं.	गतिविधि	विवरणी	स्तर
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	प्रत्येक घरों के लिए दो कूड़ेदान का वितरण एवं घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण	घरेलू
		घरेलू स्तर पर जैविक खाद (कम्पोस्ट निर्माण) हेतु उत्प्रेरण एवं अजैविक ठोस अपशिष्ट के पुंनर्उपयोग (रिसायकल) हेतु उत्प्रेरण	घरेलू
		घर-घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	घरेलू
		संग्रहित ठोस अपशिष्ट का ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण इकाई (WPU) तक परिवहन	ग्राम पंचायत
		वार्ड स्तर पर दो स्वच्छताकर्मी एवं प्रति वार्ड पर एक कचरा संग्रहण वाहन (पैडल रिक्शा)	वार्ड
		ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड से संग्रहित कचरा के WPU तक परिवहन हेतु प्रति ग्राम पंचायत एक/अधिकतम दो ई- रिक्शा -	ग्राम पंचायत
		ग्राम पंचायत स्तर पर ई-रिक्शा संचालन हेतु अधिकतम दो स्वच्छताकर्मी	ग्राम पंचायत
		WPU के संचालन हेतु अधिकतम चार स्वच्छताकर्मी	ग्राम पंचायत
		ग्राम पंचायत स्तर पर SLWM के क्रियान्वयन हेतु एक स्वच्छता पर्यवेक्षक	ग्राम पंचायत
		ग्राम पंचायत स्तर पर हाट, बाजार एवं व्यवसायिक स्थानों से ई-रिक्शा के द्वारा अपशिष्ट का संग्रहण	ग्राम पंचायत
		अपशिष्ट पृथक्कीकरण इकाई पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण करने की व्यवस्था	ग्राम पंचायत
		समुदाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट के जैविक खाद (कम्पोस्ट) का निर्माण	वार्ड / ग्राम
2	तरल अपशिष्ट प्रबंधन	घरेलू स्तर पर किचन गार्डन, सोक पिट एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग संरचना के निर्माण हेतु उत्प्रेरण	घरेलू
		वार्ड/ ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्तर पर सोक पिट, लीच पिट एवं सामुदायिक किचन गार्डन का निर्माण	वार्ड / ग्राम
		नालियों की साफ-सफाई, नालियों के मुहाने पर जंक्शन चैम्बर का निर्माण	वार्ड / ग्राम
		नली-गली योजना, जल-जीवन हरियाली मिशन एवं मनरेगा से अभिसरण	वार्ड / ग्राम
		ग्राम पंचायत स्तर पर सींचेवाल (पंजाब) मॉडल आधारित अपशिष्ट स्थिरिकरण पोखर का निर्माण	ग्राम पंचायत
		अन्य तकनीकों यथा डकवीड, वेटलैन्ड आदि का पायलट आधार पर क्रियान्वयन	ग्राम पंचायत
3	मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन	ग्राम पंचायत स्तर पर सेप्टिक टैंक एवं उत्पन्न होने वाले मलयुक्त कीचड़ से संबंधित सर्वेक्षण	ग्राम पंचायत
		क्रियान्वयन में सहयोग हेतु उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने (PPP मॉडल) हेतु Sucker Machine की उपलब्धता	प्रखंड/ अनुमंडल
		सुरक्षित निपटान के लिए पायलट रूप में ट्रीटमेन्ट हेतु स्थल का चयन एवं निर्माण	प्रखण्ड / जिला

		उपलब्ध Sewerage Treatment Plan (STP), Feacal Sludge Treatment Plant (FSTP) पर को-ट्रीटमेन्ट किया जाना	अनुमंडल / जिला
		क्रियान्वयन हेतु तकनीकी संस्थान, डेवेलपमेन्ट पार्टनर के साथ पायलट किया जाना	राज्य / जिला
		दुर्गम एवं बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मोबाइल ट्रीटमेन्ट इकाई	चिन्हित प्रखण्ड/ जिला
		सर्वेक्षण के आधार पर क्लस्टर के रूप में प्रखंड/ अनुमंडल स्तर पर FSTP का स्थापन	प्रखंड/ अनुमंडल/ जिला
4	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन	घरेलू स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण	घरेलू
		ग्राम पंचायत स्तर पर WPU पर संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण एवं पुनर्उपयोग	ग्राम पंचायत
		प्रखंड स्तर पर क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एजेंसी (नोडल) का चयन	जिला / प्रखण्ड
		प्रखंड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का अधिस्थापन	प्रखंड/ अनुमंडल
		प्रखंड स्तर पर प्रसंस्करण हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट की छंटाई, Shredding, Belling, Compacting इत्यादि	प्रखंड/ अनुमंडल
		संसाधित प्लास्टिक कचरे के उपयोग हेतु सरकारी विभागों के साथ अभिसरण	जिला / प्रखण्ड
5	गोबर-धन	ग्राम पंचायत/ प्रखंड स्तर पर गोबर की उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित सर्वेक्षण	ग्राम पंचायत/ प्रखंड
		राज्य जिला स्तर पर क्रियान्वयन इकाई का चयन	राज्य / जिला
		गौ-शालाओं/ दुग्ध उत्पादक इकाइयों का प्राथमिकता के आधार पर चयन तथा NABARD, Sudha Dairy एवं अन्य निजी दुग्ध उत्पादक इकाइयों के साथ अभिसरण	राज्य / जिला

अनुलग्क :- E

LSY अंतर्गत नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना निर्माण संबंधित सलाह		
क्र.सं .	**गतिविधि**	**विवरणी**
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में नवान्मेषी तकनीक	वैसे अधोसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा वैसे कार्य जो स्वच्छ भारत मिशन में सम्मिलित नहीं है (ग्रामीण)। • विकेन्द्रीकृत कम खर्च वाले तकनीकजो समुदाय स्तर पर सुलभता से , क्रियान्वित हो सकें एवंअनुरक्षण लागत कम हो। • स्थानीय स्तर पर समुदायों के सहयोग से क्रियान्वयन • अन्य राज्यों में विकसित नवोन्मेषी तकनीक का प्रयोग • मोबाइल ट्रीटमेन्ट इकाई

Ann-'F'

बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

संकल्प

विषय:- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण की स्वीकृति ।

"सक्षम बिहार -स्वाबलंबी बिहार" अंतर्गत सात निश्चय-2 में लक्षित **"स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव"** के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान –द्वितीय चरण (2021-2022 से 2024-2025)** में ग्राम पंचायतों द्वारा 'खुले मे शौच से मुक्ति' का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदायो का व्यवहार परिवर्तन, चिन्हित नये परिवारों / छूटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयो की सुलभता तथा चरणबद्ध तरीके से ठोस एव तरल अपशिष्ट प्रबधन द्वारा राज्य के सभी गांवों को ODF-Plus (खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व सहित ठोस एव तरल अपशिष्ट प्रबंधन) बनाया जाना है, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों मे स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान –द्वितीय चरण (2021-2022 से 2024-2025)** के क्रियान्वयन की स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

2. **उद्देश्य- "सक्षम बिहार-स्वाबलंबी बिहार"** अंतर्गत सात निश्चय-2 में लक्षित "**स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव**" में वर्णित अवयव **(क) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबधंन का क्रियान्वयन** एवं **(ख) पूर्व की निश्चय योजना का अनुरक्षण** (शौचालय निर्माण-घर का सम्मान) के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण अतर्गत राज्य के सभी गॉवो को ODF-Plus (खुले मे शौच से मुक्ति का स्थायित्व सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) किया जाना लक्षित है, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतो में संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा । उक्त लक्ष्य की प्राप्ति **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)** एवं राज्य संपोषित **लोहिया स्वच्छता योजना (LSY)** अंतर्गत किया जाएगा।

3. सात निश्चय-2 के **'स्वच्छ गॉव-समृद्ध गॉव'** निश्चय अंतर्गत निम्न अवयव हैं-

(क) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन

(ख) पूर्व की निश्चय योजना (शौचालय निर्माण -घर का सम्मान) का अनुरक्षण

उपरोक्त अवयव अतर्गत लक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण (वर्ष 2021-2022 से 2024-2025) अंतर्गत कुल 7287.36 करोड रुपये, जिसमे **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)** से 7104.75 करोड रुपये एवं **लोहिया स्वच्छता योजना (LSY)** से 182.61 करोड रुपये का व्यय प्रस्तावित है । कुल प्रस्तावित बजट 7287.36 करोड में राज्यांश मद **से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)** अतर्गत 2237.32 करोड रुपये एव **लोहिया स्वच्छता योजना (LSY)** अंतर्गत 182 61 करोड रुपये के प्रस्तावित व्यय का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम सं.	योजना		कुल प्रस्तावित बजट (करोड में)
1	**SBM(G) अंतर्गत कुल प्रस्तावित बजट**		7104 75
	A	राज्याश मद में प्रस्तावित बजट	2237.32
	B	केन्द्राश मद मे प्रस्तावित बजट	3355 98
	C	15वीं वित आयोग अनुदान से प्रस्तावित बजट	1511 45
2	**लोहिया स्वच्छता योजना** अतर्गत प्रस्तावित बजट		182 61

सात निश्चय-2 के **'स्वच्छ गॉव-समृद्ध गॉव'** निश्चय अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का सचालन किया जाना है -

क्रमांक	गतिविधि	निधि स्रोत
1	**ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन**	SBM(G) एवं 15वीं वित्त आयोग
2	**मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन**	SBM(G)
3	**प्लास्टिक कचरा प्रबंधन**	SBM(G)
4	**गोबरधन**	SBM(G)
5	**शौचालयों की मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)**	SBM(G)
6	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में नवान्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा वैसे कार्य जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में सम्मिलि`त नहीं है।**	LSY
7	**सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं रख-रखाव**	SBM(G) एव 15वीं वित्त आयोग
8	**ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन से संबंधित निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं संचालन पर किया जाने वाला व्यय**	15वीं वित्त आयोग
9	**व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता**	SBM(G) = 14.4 लाख IHHL* एवं LSY= 60000 IHHL*
10	**सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा क्षमतावर्धन**	SBM(G)
11	**संस्थागत एवं प्रशासनिक व्यय**	SBM(G) एवं LSY

*IHHL-Individual House Hold Latrine

सात निश्चय-2 के **'स्वच्छ गॉव-समृद्ध गॉव'** निश्चय अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित लक्ष्यो को पूर्ण किए जाने की अवधि 2021-22 से 2024-25 है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट **'क'** पर संलग्न है । वितीय वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 तक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वर्ष वार लक्ष्य, क्रियान्वयन की गतिविधियों हेतु 7287 36 करोड रूपये (SBM(G) अंतर्गत 7104.75 करोड रु. एवं LSY अतर्गत 182.61 करोड रु.) के संभावित व्यय का बजट प्रावधान से संबंधित विवरण परिशिष्ट **'ख'** पर सलग्न है ।

4. इस पर दिनांक-22.09.2021 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 16 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

अनुलग्नक:- यथोक्त

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/10/2021

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक 5924२9 पटना, बिहार 06/10/2021

ग्रा0वि0 15 (स्वच्छता)-03/2020

प्रतिलिपि – ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

6/10/2021

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक 592429 पटना, बिहार 06/10/2021

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/10/2021

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक 592429 पटना, बिहार 06/10/2021

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ अध्यक्ष, सह-सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/10/2021

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक 592429 पटना, बिहार 06/10/2021

प्रतिलिपि – मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/10/2021

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 592429 पटना, बिहार 06/10/2021

प्रतिलिपि – श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/10/2021

सरकार के प्रधान सचिव

परिशिष्ट -'ख'

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण के वर्षवार लक्ष्य, क्रियान्वयन की गतिविधियाँ एवं वर्षवार प्रस्तावित बजट

1 भौतिक लक्ष्य							
क्रमाक	गतिविधि	कुल भौतिक लक्ष्य	वर्षवार भौतिक लक्ष्य				विवरणी
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	ठोस एव तरल अपशिष्ट प्रबधन	39072 (प्रत्येक ग्राम स्तर पर)	7636	11082	11082	9272	SBM(G) एव 15वीं वित्त आयोग
2	मलयुक्त कीचड प्रबधन	38 (प्रत्येक जिला स्तर पर एक)	2	13	13	10	SBM(G)
3	प्लास्टिक कचरा प्रबधन	534 (प्रत्येक प्रखड स्तर पर एक)	30	210	210	84	SBM(G)
4	गोबर-धन	38 (प्रत्येक जिला स्तर पर एक)	2	13	13	10	SBM(G)
5	शौचालयो की मरम्मत(रेट्रोफिटिंग)	सूचना सचार एव क्षमतावर्धन गतिविधियो के माध्यम से सभी जिलो मे।					SBM(G)
6	ठोस अपशिष्ट प्रबधन के क्रियान्वयन मे नवान्मेषी तकनीक वाले अधोसरचना का निर्माण एव अनुरक्षण तथा वैसे कार्य जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मे सम्मिलित नही है।	आवश्यकतानुसार सभी जिलो हेतु					LSY
7	बाढग्रस्त क्षेत्रो एव विषम भौगोलिक क्षेत्रो में प्रभावी स्वच्छता तकनीक वाले अधोसरचना तथा बाढ अनुकूल शौचालय का निर्माण, इस हेतु नवोन्मेषी तकनीक का प्रयोग अधोसरचना निर्माण एव अनुरक्षण।	आवश्यकतानुसार चिन्हित जिलो हेतु					LSY
8	सामुदायिक स्वच्छता परिसरो का निर्माण	15000	6000	3000	3000	3000	SBM(G)एव 15वी वित्त आयोग
9	व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता	15,00,000	515000	365000	315000	305000	SBM(G) अतर्गत 14 4 लाख IHHL एव LSYअतर्गत 60000 IHHL
10	सूचना, शिक्षा एव सचार तथा क्षमतावर्धन	कुल परियोजना व्यय का 3%					SBM(G)
11	सस्थागत एव प्रशासनिक व्यय	कुल परियोजना व्यय का 1%					SBM(G)

6. **प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU):**
प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) होगी जिसमें प्रखण्ड समन्वयक- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे । प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) प्रखण्ड स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी ।

7. **ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC):**
मुखिया-ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) होगी जिसमें पंचायत सचिव एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े अन्य व्यक्ति / कर्मी सदस्य होंगे । ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIC) ग्राम पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं विभागीय अभिसरण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी ।

8. **वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) :**
वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) होगी जिसमें स्वच्छता से जुड़े अन्य व्यक्ति / कर्मी सदस्य होंगे । वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) वार्ड स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत संरचनाओं की रूप रेखा, भूमिका (Role) एवं दायित्व (Responsibility) का निर्धारण किया जाएगा एवं अभियान के क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन अनुदेश निर्गत किया जाएगा ।

प्रावधानित बजट

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अतर्गत प्रस्तावित बजट (रूपये करोड में)										
क्र स	गतिविधि	प्रस्तावित बजट प्रावधान	प्रस्तावित बजट के स्रोत			वर्षवार				कुल प्रस्तावित बजट प्रावधान
			केन्द्राश	राज्याश	15वीं वित्त आयोग अनुदान के अभिसरण से	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	ठोस अपशिष्ट प्रबधन	628 42	42%	28%	30%	122 71	177 73	177 76	150 22	628 42
2	धूसर जल एव तरल अपशिष्ट प्रबधन	3959 7	42%	28%	30%	770 83	1108 5	1109 06	971 36	3959 76
3	मलयुक्त कीचड प्रबधन	19	60%	40%	---	1	6 5	6 5	5	19
4	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबधन	85 44	60%	40%	---	4 8	33 6	33 6	13 44	85 44
5	गोबर धन-	19	60%	40%	---	1	6 5	6 5	5	19
6	सामुद्रायिक स्वच्छता परिसर	450	42%	28%	30%	180	90	90	90	450
7	व्यक्तिगत शौचालय	1728	60%	40%	----	600	420	360	348	1728
8	सूचना, शिक्षा एव सचार गतिविधि	161 34	60%	40%	---	40 74	42 89	41 11	36 6	161 34
9	सस्थागत एव प्रशासनिक व्यय	53 78	60%	40%	---	13 58	14 3	13 7	12 2	53 78
10	कुल प्रस्तावित बजट	7104 8	3356	2237 32	1511 45	1734 6	1900 03	1838 23	1631 81	7104 75
11	राज्य सरकार द्वारा योजना अतर्गत कुल प्रस्तावित बजट	2237 3				565 04	594 86	570 07	507 33	2237 32
12	15वीं वित्त आयोग अनुदान के अभिसरण से	1511 5				322 06	412 87	413 04	363 47	1511 45
13	केन्द्राश मद मे प्रस्तावित बजट	3356				847 56	892,29	855 11	761 02	3355 98

लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) अंतर्गत प्रस्तावित बजट (रूपये करोड़ में)						
क्र.सं.	गतिविधि	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
14	व्यक्तिगत शौचालय (IHHL)	18	18	18	18	72
15	सविदा कर्मी का आशिक मानदेय	22 42	22 42	22.42	22.42	89 71
16	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन मे नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना का निर्माण एव अनुरक्षण तथा वैसे कार्य जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मे सम्मिलित नही है ।	1 8	3.6	3.6	2.4	11.4
17	बाढग्रस्त क्षेत्रो एव विषम भौगोलिक क्षेत्रो मे प्रभावी स्वच्छता तकनीक वाले अधोसंरचना तथा बाढ अनुकूल शौचालय का निर्माण, इस हेतु नवोन्मेषी तकनीक का प्रयोग अधोसरचना निर्माण एव अनुरक्षण	1.5	3	3	2	9 5
18	कुल (लोहिया स्वच्छता योजना)	43.73	47.03	47.03	44.89	182.61
19	कुल (लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण)	1778.33	1947.06	1885.26	1676.70	7287.36
A	SBM(G) अंतर्गत राज्यांश मद में प्रस्तावित बजट	565.04	594.86	570.07	507.33	2237.32
B	LSY अंतर्गत राज्य योजना में प्रस्तावित बजट	43.73	47.03	47.03	44.89	182.61
C	कुल	608.77	641.89	617.1	552.22	2419.93